संघर्षरत मेहनतकश

अंक 41 नवम्बर– दिसम्बर 2019 सहयोग राशि 10 रूपये

- सब चंगा है कहाँ?
- सत्ता के एजेण्डे और न्यायिक सक्रियता
- 16 घंटे काम कराने की होगी छूट
- पूँजीपतियों के हवाले होंगी कंपनियाँ
- जनरल मोटर्स में समझौता

धूमिल की दो कावितायें

रोटी और संसद

एक आदमी
रोटी बेलता है
एक आदमी रोटी खाता है
एक तीसरा आदमी भी है
जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है
वह सिर्फ रोटी से खेलता है
मैं पूछता हूँ
'यह तीसरा आदमी कौन है ?'
मेरे देश की संसद मौन है।

हर तरफ धुआं है

हर तरफ धुआं है
हर तरफ कुहासा है
जो दांतों और दलदलों का दलाल है
वही देशभक्त है

अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है-
तटस्थता।
यहां कायरता के चेहरे पर
सबसे ज्यादा रक्त है।
जिसके पास थाली है
हर भूखा आदमी
उसके लिए, सबसे भद्दी
गाली है

हर तरफ कुआं है
हर तरफ खाई है
यहां, सिर्फ, वह आदमी, देश के करीब है
जो या तो मूर्ख है
या फिर गरीब है

संघर्षरत **मेहनतकश**

अंक-41 नवम्बर-दिसम्बर, 2019

सहयोग राशि : दस रुपये

इस अंक में

कवर-2 **कविताएं धूमिल**
कवर-3 **करतार सिंह सराभा**
कवर-4 **काकोरी के शहीद**
अपनी बात
सब चंगा है कहाँ 3
विशेष लेख
सत्ता के एजेण्डे और न्यायिक... 4
आवरण कथा
16 घण्टे काम कराने की छूट 5
रोजगार की नयी किस्में 6-7
सरकारी निगमों पर गिद्ध दृष्टि 8-9
योगी राज में बेलगाम घोटाले 10
मज़दूरनामा
होण्डा ठेका मज़दूरों की हड़ताल 11
माइक्रोमैक्स व वोल्टास के मज़दूर...17
सुप्रीमकोर्ट से मज़दूर की जीत 18
बीच का पन्ना 14-15
विश्व पटल
जनरल मोटर्स में समझौता 21
चिले में चल रहा जन विद्रोह 21
विरासत
महान अक्टूबर क्रान्ति 22
चित्र कथा
जिस देश में मज़दूर मरते हैं 23-26

सम्पादक
मुकुल

अमित चक्रवर्ती द्वारा जीतेन्द्र कुमार पुत्र बिरेन्द्र सिंह, ग्राम-पोस्ट बुड़ोली, जिला रेवाड़ी (हरियाणा)-123411 से प्रकाशित तथा कैपिटल प्रिन्टर्स, आर.जेड.-12, मंगोलपुरी खुर्द, दिल्ली-83 से मुद्रित।

सम्पर्क:
फोन: 09412969989, 09873057637
mehnatkash2015@gmail.com

इस अंक के सभी कॉर्टून विभिन्न श्रोतों से साभार

अनियतकालीन, अव्यवसायिक और निजी वितरण हेतु

अपनी बात

सब चंगा है कहाँ?

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका में बोलते हैं 'सब चंगा है'! वित्त मंत्री कह रही हैं कि बैंकिंग प्रणाली को लेकर चिन्ता की कोई बात नहीं है, केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर कहते हैं कि सिनेमा हाउसफुल जा रहे हैं, एक दिन में 120 करोड़ कमा रहे हैं, मन्दी कहाँ है! केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, देश में रोजगार की कमी नहीं है, उत्तर भारत में क्वालिटी का व्यक्ति नहीं मिलता। एक और मंत्री ने कहा कि लोग शादी कर रहे हैं, जो यह बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था "अच्छी चल" रही है।

जनाब मोदी और उनकी पूरी मण्डली के लिए 'चंगा' हाल यही है कि देश की जीडीपी 15 साल में सबसे निचले स्तर पर है। बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है। घरेलू उपभोग भी 4 दशकों में पहली बार अपने सबसे निचले स्तर पर है। बैंकों के कर्ज फंसने का प्रतिशत काफी ज्यादा है, बिजली उत्पादन भी 15 सालों में सबसे कम है। कारखाने ठप हो रहे हैं और बेरोजगारी चरम पर जा पहुँची है, काम के बगैर श्रमिक परिवार दाने-दाने के मोहताज हो गए हैं!

45 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में उपभोक्ता की खर्च सीमा घट गई है! जहाँ एक व्यक्ति द्वारा अपने घरेलू खर्च पर वर्ष 2011-12 में 1501 रुपए खर्च किए जा रहे थे। वहीं वर्ष 2017-18 में यह 3.7 प्रतिशत गिरकर 1446 रुपए मासिक पर आ गया है। उपभोक्ता खर्च में यह गिरावट देश में गरीबी के व्यापक होने और माँग में आयी कमी बताता है। मोहतरमा वित्त मंत्री वाकई यह चिन्ता की बात नहीं है!

एनएसओ की रिपोर्ट अनुसार आर्थिक संकट का आम लोगों की आमदनी पर इतना भयानक असर पड़ा है कि शहरों और गाँव सभी जगह खाने पर भी खर्च घटाने को मजबूर होना पड रहा है। अनाज, तेल, चीनी, नमक, दाल, मसाले आदि सबसे मूल जरूरी वस्तुओं की खरीदारी में भी कटौती करने की मजबूरी हो गई है। बिक्री में मंदी का नतीजा है कि थोक मूल्य वृद्धि शून्य पर पहुँच गई है मगर फुटकर उपभोक्ता महँगाई 5 फीसदी पार कर रही है। एक तरफ बेरोजगारी और आमदनी में कटौती है दूसरी ओर महँगाई आसमान छूने की ओर है। गरीब मेहनतकशों पर दोहरी मार पड़ रही है।

पिछले माह औद्योगिक उत्पादन में 4.3 फीसद का संकुचन हुआ है। यह 8 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। यह गिरावट सभी क्षेत्रों- पूँजीगत वस्तुओं, टिकाऊ उपभोक्ता, बुनियादी ढ़ाँचा व निर्माण वस्तुओं में है। पिछले कई महीने से ऑटोमोबाइल उद्योग की सभी कम्पनियों में लगातार उत्पादन ठप्प हो रहा है और लाखों रोज़गार छिन चुके हैं। अकेले मारुति सुजुकी ने लगातार नौवें महीने कटौती के साथ अक्टूबर में उत्पादन में 20.07 फीसदी कटौती की है। होण्डा में हजारों मज़दूर छँटनी के खिलाफ संघर्षरत हैं। मैन्युफ़ैक्चरिंग और बिजली दोनों के उत्पादन में पिछले सात वर्षों का सबसे बुरा प्रदर्शन था। कैपिटल गुड्स की माँग में लगातार आठवें महीने 21 फीसदी की गिरावट आयी।

बैंकों की हालत पतली है। कई बड़े बैंक कभी भी डूब सकते हैं। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक महज एक झलक मात्र है। सरकारी उपक्रमों को खोखला करके ताबड़तोड़ बेचने की तैयारी चल रही है। बेरोज़गारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। नौकरियाँ छिनने का सिलसिला जारी है...!

लेकिन जनाब मोदी के लिए 'सब चंगा है' और मंत्रियों की उटपटांग बोली जारी है!

सत्ता के एजेण्डे और न्यायिक सक्रियता

मुकुल

बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि फैसला : एक चिन्तनीय स्थिति

बहुप्रतीक्षित बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित 2.77 एकड़ भूमि हिंदू पक्ष "राम लला विराजमान" को दे दी और मुसलमानों को अयोध्या में कहीं अन्यत्र 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद हेतु उपलब्ध कराने की बात की।

सर्वोच्च अदालत ने अपने 1000 पेज से अधिक के फैसले में यह माना है कि 16 दिसम्बर 1949 तक मस्जिद में नमाज़ पढ़ी गयी और 22-23 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद में चोरी छिपे मूर्तियां रखवाई गयीं जो कि गलत और अवैध था। सर्वोच्च अदालत ने यह भी माना कि 6 दिसम्बर 1992 को मस्जिद को ढहाया जाना एक गैर क़ानूनी कृत्य था। अदालत ने यह भी माना कि 1934 से 6 दिसम्बर 1949 तक मस्जिद में लगातार नमाज़ पढ़ी जा रही थी और उसके बाद भी जुमे की नमाज अदा की जाती रही है। लेकिन इन तथ्यों को जानने और मानने के बावजूद सर्वोच्च अदालत ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन हिन्दू पक्ष "राम लला विराजमान" को दे दी। इस तरह बाबरी मस्जिद ढहाने वालों को ही बाबरी मस्जिद की जमीन पर कब्ज़ा मिल गया।

न्यायालय ने अपने इस फैसले में मिथकों और कपोल कल्पनाओं पर आधारित कहानियों व मिथकों को ठोस तथ्यों पर और हिन्दू आस्था को कानून व न्याय पर वरीयता देते हुए साम्प्रदायिक ताकतों के आगे घुटने टेक दिए। यह एक तरीके से हिन्दू कट्टरपंथियों द्वारा फैलाये मिथक को काफी हद तक वैधानिकता और प्रमाणिकता भी प्रदान करता है।

न्याय के सिद्धान्त के विपरीत

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही मूलभूत तर्कों के ख़िलाफ जाकर यह निर्णय दिया है जो कि न्याय के सिद्धांत की जगह संघ-भाजपा के दबाव में लिया गया एक राजनीतिक फैसला है। विश्व हिन्दू परिषद ने तो 35000 मस्जिदों को तोड़कर मन्दिर बनाने की घोषणा भी कर दी। सबरीमाला मन्दिर के फैसले की धज्जी उड़ाने वाले न्यायपालिका के सम्मान की शोर मचा रहे हैं!

इस फैसले ने देश के अल्पसंख्यकों के न्याय पाने के भरोसे को भी खत्म कर दिया है। इसने संघ के भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत पर हमले को वैधानिकता प्रदान करके भविष्य के लिए एक ख़तरनाक़ संकेत भी दिया है। इसने भारतीय राज्य व राजनीतिक प्रतिष्ठानों के कथित धर्मनिरपेक्षता के आवरण की पोल खोल दी है। गौरतलब है कि कांग्रेस सहित सभी मुख्य पूँजीवादी पार्टियों ने इस फैसले का समर्थन किया है।

न्यायिक सक्रियता किसके हित में

आज नीचे से लेकर ऊपर तक देश की न्यायपालिकाएं सरकार के एजेण्डे को खुलकर लागू कर रही हैं। मारुति-प्रिकॉल-गर्जियानों के बेगुनाह मज़दूरों को जमानत तक नहीं मिल रही है, लेकिन किसानों की जमीन हड़पने वाले अडानी के लिए न्यायालय पूरी तरह तत्पर है। सत्ता विरोधियों पर कार्रवाई हो अथवा संघ के एजेण्डे पर न्यायपालिका की सक्रियता, इस बात का प्रमाण है कि सत्ता केन्द्र की चाहत ही न्यायपालिकाओं के फैसले बन रहे हैं।

बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि पर यह फैसला इसकी एक बानगी है। इसी के साथ सत्ताधारी भाजपा ने आनन-फ़ानन में इसपर मनमाफ़िक फ़ैसला करवाकर जनता को कुछ दिनों तक नशे की एक और बड़ी खुराक दे दी है।

असल मामला कुछ और है

आज देश के हालात बेहद नाजुक़ हो चुके हैं। निजीकरण-छँटनी-बन्दी, महँगाई-बेरोजगारी, भुखमरी-अत्महत्याएं रोज नये रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसी के साथ समाज के भीतर इंसान को इंसान के दुश्मन के तौर पर उसी तेजी से खड़ा किया जा रहा है।

दरअसल मोदी के नेतृत्व में संघ-भाजपा बड़े ही खूबसूरती व तेजी से जो एजेण्डे लागू कर रहे हैं, उनमें एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। बड़े पूँजीपतियों के हित में कुशलता से नीतियाँ लागू करना; संघ के कथित हिन्दूवादी नीतियों को थोप देना और हर तरह के प्रतिरोध को ठंडा करने के लिए कथित राष्ट्रभक्ति के नशे की खुराक कुशलता से परोसना।

पूँजीपतियों के हित में नीतिगत तेजी

देश और दुनिया के पूँजीवादी लुटेरों को जिस 'विकास' की तेज रफ्तार चाहिए, जिसकी गति पूर्ववर्ती सरकारों के दौर में धीमी थी, उसे तेजी से बेरोकटोक लागू करने में मोदी सरकार फिट बैठी है। चाहें लम्बे संघर्षों के दौरान हासिल श्रम क़ानूनी अधिकारों को छीनने की तेज रफ्तार हो, जनता के खून-पसीने से खड़े सार्वजनिक उपक्रमों को अडानियों-अम्बानियों के हवाले करना हो, बढ़ते मंदी के संकट का बोझ खुलेआम जनता के मत्थे डालना हो या फिर सरकारी कर्मचारियों तक को जबरिया अवकाश देकर घर बैठा देने की योजनाओं को दबंगई से लागू करना हो। इसलिए मुनाफाखोरों के प्रियतम बने हुए हैं ज़नाब मोदी!

संघ के एजेण्डे से कॉर्पोरेट का ही लाभ

दूसरी ओर आजादी की लड़ाई के दौर में अंग्रजों की सरपरस्ती में कथित हिन्दुत्व का जो एजेण्डा संघ ने बना रखा था, उसे लागू करके जनता का ध्यान बाँटने का सबसे मुफीद वक़्त आर्थिक संकट का दौर ही होता है। महँगाई बेरोजगारी से त्रस्त आम जनता के लिए ऐसे वक़्त में राष्ट्र, कश्मीर, राममंदिर, पकिस्तान के नाम पर भरमाना आसान हो जाता है। ज़नाब मोदी की सरपरस्ती में कश्मीर, धारा-370, अयोध्या मन्दिर-मस्जिद, समान नागरिकता, नागरिकता रजिस्टर जैसे मुद्दे उसी तेजी से लागू हो रहे हैं। इससे पूँजीपतियों को कोई हानि नहीं है, बल्कि उनके हितोनुरूप नीतियों को लागू करने की बाधाएँ इससे कमजोर पड़ रही हैं। इसलिए संघ और कॉर्पोरेट दोनो खुश हैं।

नशे की खुराक देने में कुशलता

तीसरा, रोजी-रोटी जैसी बुनियादी समस्याओं से त्रस्त आम मेहनतकश जनता को एक के बाद एक गैर मुद्दों के नशे की खुराक़ देने में मोदी-शाह एण्ड कम्पनी सिद्धहस्त हो चुकी है। यह बेहद अहम इसलिए है, क्योंकि यह पहले दोनो एजेण्डों और कुलमिलाकर वैश्विक पूँजी के एजेण्डों को लागू करने को सुगम बनाता है।

अभी हालिया उदाहरण देखें- ख़तरनाक़ वेतन संहिता पारित हुई, रेलवे निजी हाथों में गया, आर्थिक संकट गहराने के साथ तमाम फैक्ट्रियां छँटनी-बंदी की शिकार हैं। ठीक इसी दौर में कश्मीर फिर अयोध्या मसले पर जिस तरीके से एजेण्डे लागू हुए, इससे जनता का एक हिस्सा वास्तविक संकटों को भूलकर इसमें मस्त हो गया, तो अल्पसंख्यक आबादी का हिस्सा डरा-सहमा है। असल मुद्दा ग़ायब!

16 घंटे काम कराने की होगी छूट

जय हो! वैश्विक मुनाफाखोरों के हित में सक्रिय मोदी सरकार जहाँ अयोध्या में मंदिर निर्माण के बहाने उन्मादी माहौल बनाने में सक्रिय है, वहीं उसने दैनिक काम की अवधि 16 घंटे तक करने का फरमान भी जारी कर दिया, वह भी बगैर ओवर टाइम भुगतान के। यह सरकारी व निजी, सभी क्षेत्रों के लिए होगा। जबकि यह वेज कोड होने के बावजूद इसमें न्यूनतम वेतन पर चुप्पी है।

केंद्र सरकार मज़दूर विरोधी वेतन श्रम संहिता विधेयक (वेज कोड बिल-2019) पारित करने के बाद अब उसकी नियमावली बना रही है। उसने वेतन श्रम संहिता नियावली (वेज कोड रूल्स) का ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है। इसमें 8 की जगह 9 घंटे दैनिक काम की सिफारिश की गई है। साथ ही आपातकालीन स्थितियो के बहाने 16 घंटे तक काम लेने की भी छूट दी जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वेज कोड होने के बावजूद इसमें राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन पर तस्वीर साफ नहीं है।

नियमावली के जारी ड्राफ्ट पर श्रम मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से एक महीने में सुझाव माँगे हैं। केंद्र की ओर से जारी ड्राफ्ट में कहा गया है कि भविष्य में 'एक एक्सपर्ट कमेटी' न्यूनतम मज़दूरी तय करने के मसले पर सरकार से सिफारिश करेगी।

ज्ञात हो कि देशी-विदेशी पूँजीपतियों को खुश करते हुए मोदी सरकार ने मज़दूर विरोधी चार श्रम संहिताओं में से एक वेतन श्रम संहिता विधेयक (वेज कोड बिल-2019) को संसद के दोनो सदनों में पारित करके विगत 8 अगस्त को राष्ट्रपति का भी अनुमोदन ले लिया था। अब उसको संचालित करने के लिए नियमावली भी बनाकर उसका ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दिया।

मज़दूरी पर श्रम संहिता से ख़त्म होंगे

इस संहिता से लम्बे संघर्षों के दौरान हासिल मौजूदा 4 श्रम क़ानून - न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, मज़दूरी संदाय अधिनियम, बोनस संदाय अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम समाप्त हो जायेंगे।

16 घंटे तक काम की छूट

प्रस्तावित नियमावली की धारा 13 (उपधारा 1, उपबंध ए) के तहत न्यूनतम वेतन प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को न्यूनतम 9 घंटे काम करना होगा। आपातकालीन स्थितियों में (धारा

13, उपधारा 2) एक दिन में 16 घंटे तक काम करना पड़ सकता है।

अभी 8 घंटे काम का है नियम

मानक नियम के मुताबिक, किसी भी श्रमिक का वेतन दैनिक 8 घंटे के हिसाब से तय होता है। इसको 26 से गुणा कर महीने के वेतन का आकलन किया जाता है। 30 दिन के महीने में 4 दिन आराम/अवकाश के माने जाते हैं। श्रम मंत्रालय के प्राथमिक ड्राफ्ट में जो नई बातें कही गईं, उससे काम के घंटे बढ़ जाएँगे।

होंगे काम के मनमाने घण्टे

वेतन में धोखाधड़ी के साथ एक और बड़ा हमला मनमाने काम के घंटे तय करने के लिए मालिकों को खुली छूट देना भी है। अभी जारी वेज कोड रूल्स के ड्राफ्ट से भी यह साफ है।

ड्राफ्ट प्रस्ताव के मुताबिक, कार्यदिवस 9 घंटे लंबा हो सकता है, जिससे नियोक्ता अपने कर्मचारियों से ज्यादा काम ले सकेंगे। इतना ही नहीं, नियोक्ता जरूरत के समय इसे बढ़ाकर 12 घण्टे भी कर सकते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि नियोक्ता श्रमिक को मनमाने कार्य के लिए कानूनन बाध्य करने को आज़ाद होंगे। इसके अलावा, खास श्रेणी के बहाने कार्यदिवस 16 घंटे तक का भी हो सकता है।

नहीं मिलेगा ओवरटाइम!

श्रम मंत्रालय द्वारा पेश ड्राफ्ट में 9 घंटे से ज्यादा काम के लिए ओवरटाइम का कोई जिक्र नहीं है। जबकि न्यूनतम मज़दूरी (सेंट्रल रूल्स) ऐक्ट 1950 के मुताबिक, 9 घंटे से ज्यादा काम लेने पर हर साधारण मज़दूरी से दोगुनी मज़दूरी का प्रावधान है। ड्राफ्ट में सिर्फ उन कर्मियों को ओवरटाइम भुगतान का जिक्र किया गया है जो छुट्टी के दिन काम करते हैं।

तीन भौगोलिक क्षेत्रों में बांटने का प्रस्ताव

प्रस्तावित ड्राफ्ट में वेतन संहिता के अनुरूप न्यूनतम वेतन तय करने के लिए पूरे देश को तीन भौगोलिक क्षेत्रों में बांटने की सिफारिश है। इसमें पहले वर्ग में 40 लाख या इससे ज्यादा की आबादी वाले मेट्रोपोलिटन शहर, दूसरे वर्ग में 10 से 40 लाख तक की आबादी वाले नॉन मेट्रोपोलिटन शहर और तीसरे वर्ग में ग्रामीण इलाकों को शामिल किया गया है। यानी अबतक के वेतन निर्धारण की मान्य अवधारण को पूरी तरह से बदलकर मालिकों के हित में कर दिया गया है।

न्यूनतम वेतन में धोखाधड़ी

वेतन संहिता विधेयक से मज़दूरी तय करने का वह फार्मूला पूरी तरह से बदल गया है, जिसे 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन में तय किया गया था। ड्राफ्ट में न्यूनतम वेतन पर कुछ नहीं कहा गया है, यह काम भावी एक्सपर्ट कमिटियों के जिम्मे है। साल की शुरुआत में श्रम मंत्रालय ने 375 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम वेतन की सिफारिश की थी। पैनल ने इसे जुलाई 2018 से लागू करने को कहा था।

2018-19 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक, 1 जून 2017 से न्यूनतम दैनिक वेतन 176 रुपये तय किया गया था, जिसे कोड ऑफ वेज बिल 2019 ने 2 रुपये बढ़ाकर 178 रुपये कर दिया था। जबकि सातवें वेतन आयोग ने 1 जनवरी, 2016 सें 18000 रुपए प्रतिमाह की अनुशंसा की थी, जो वर्तमान में 22000 रुपये मासिक हो चुकी है। इससे वेतन नीति की धोखाधड़ी साफ है।

अयोध्या में मंदिर निर्माण के बनते माहौल के शोर और पागलपन भरे नशे की खुराक के बीच मज़दूर-मेहनतकशों के अधिकारों को कुचलने वाला मोदी सरकार का घोडा फर्राटे भर रहा है!

किसानों का दमन

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में अधिग्रहित की गई जमीन के बेहतर मुआवजे की माँग को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन में पुलिस द्वारा 16 नवम्बर को बर्बर दमन किया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में एक पुलिसकर्मी को जमीन पर लेटे हुए एक निहत्थे व्यक्ति की पिटाई करते हुए दिखाया गया है।

किसानों ने बताया कि इलाके में दहशत है, प्रशासन प्रताड़ित कर रहा है और गिरफ्तारी के डर से युवा अपने घरों से पलायन कर गए हैं।

उधर पुलिस ने 30 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

रोजगार की नई किस्में-1

परमानेंट की जगह फिक्स्ड टर्म

बदलते श्रमकानूनों के इस दौर में रोजगार की पूरी परिभाषा ही बदल गयी है। इसके लिए नये क़ानून बनाने की जगह पूर्ववर्ती कानूनों में मामूली संशोधनों के जरिए बड़ा बदलाव आ गया है। जैसे मोदी सरकार द्वारा स्थाई आदेश कानून में महज एक शब्द जोड़ा गया 'फिक्स्ड टर्म'। यानी मालिकों को स्थाई रोजगार की जगह नियत अवधि के लिए काम पर रखने की खुली छूट। इसी प्रकार एक शासनादेश द्वारा 'स्किल डेवलपमेंट' के बहाने 'नीम ट्रेनी' के तहत फ़ोक़ट के मज़दूर रखने की छूट।

दरअसल, मोदी सरकार द्वारा 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' यानी व्यापार को आसान बनाने का जो फण्डा है, उसने मालिकों को लाभ पहुँचाने के लिए मज़दूरों को निचोड़कर फेंक देने का ख़तरनाक़ धंधा है। इसने स्थाई नौकरी की जगह 'फिक्स्ड टर्म' किया है, तो युवाओं की भारी आबादी को फोक़ट का मज़दूर बना दिया है।

फिक्स्ड टर्म : मनमाने रोजगार का नया धंधा

इन दिनों कम्पनियाँ में एक नये किस्म की नौकरी का जोर बढ़ गया है- 'फिक्स्ड टर्म'। मतलब पहले से ही सीमित स्थाई रोजगार खत्म करके नियत अवधि के मज़दूर भर्ती करना है।

दरअसल, केंद्र सरकार ने औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946, सपठित केन्द्रीय नियमावली में बदलाव करके 'फिक्सड टर्म इम्प्लाईमेण्ट' (नियत अवधि के लिए नियुक्ति का अनुबन्ध) का फण्डा दे दिया। इसी के साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन करके 'फिक्स्ड टर्म' का नया शब्द जोड़ दिया है।

यानी, एक निश्चित अवधि के लिए नियोक्ता और कर्मकार के बीच में एक संविदा होगी और अवधि समाप्त होते ही उसको निकाल दिया जाएगा। वह अपने स्थायीकरण की भी माँग नही कर सकता। यह नया फण्डा मालिकों को 'रखने व निकालने' की खुली छूट देता है।

2016 में सीमित क्षेत्रों के लिए बना

मोदी सरकार ने इस नये फण्डे की शुरूआत 2016 में नोटबन्दी के ठीक पहले सीमित क्षेत्रों के लिए किया था। अक्टूबर, 2016 में औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम में बदलाव के तहत 'एपैरल मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर' (गारमेण्ट एवं टेक्सटाइल्स उद्योग) में निश्चित अवधि के रोजगार की शुरुआत हुई थी।

इस प्रकार 'फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट' पर अनुबन्ध आधारित नियुक्ति करने की छूट पहले सिर्फ वस्त्र निर्माण में ही थी।

नोटबन्दी के प्रयोग से हौसले बुलन्द

यह मोदी सरकार का एक 'टेस्टिंग प्वाइंट' था। एक तो यह पिछले दरवाजे से लागू हुआ था, जिसकी बहुतों को भनक भी नही लगी। दूसरे, उसी समय नोटबन्दी के शोर ने इसके शुरुआती विरोध को भी दबा दिया।

मोदी सरकार का लोगों को परखने और दूसरे मुद्दों में उलझाकर खेलने का एक और प्रयोग सफल हो गया। फिर तो उसने सभी क्षेत्रों के लिए 'फिक्स्ड टर्म' लागू कर दिया।

शब्दों की जादूगरी

इस संशोधन के लिए मोदी सरकार ने अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि शब्द 'एपैरल मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में फिक्स्ड-टर्म इम्पलॉयमेंट' को 'फिक्स्ड-टर्म इम्पलॉयमेंट' के साथ बदला जाएगा। यह शब्दों का खेल था। इसका मतलब यह हुआ कि सभी सेक्टरों के लिए यह व्यवस्था बन गयी। इस तरह मनमानी अवधि के लिए अनुबन्ध पर नियुक्ति की छूट सभी उद्योगों और क्षेत्रों में लागू हो गयी।

सीमित अवधि, अनुबन्ध पर नियुक्ति

परिभाषा के मुताबिक, कोई कर्मचारी अगर एक तय समय के लिए अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किया जाए तो उसे 'फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट' कहा जाएगा। अनुबन्ध का नवीनीकरण न होने पर उसकी सेवाएं खुद-ब-खुद खत्म मान ली जाएंगी।

वैसे तो लिखा यह है कि वेतन व सुविधाएं स्थाई कर्मकार की भाँति मिलेंगी, लेकिन कंपनियां आज सालाना पैकेज तय कर रही हैं, जो कंपनी कास्ट (सीटीसी) आधारित होता है। यानी हाथ में आने वाला वेतन काफी कम होता है।

सच यह है कि जब तमाम कम्पनियों में, जहाँ यूनियन नहीं है, स्थाई श्रमिकों को डबल ओवर टाइम और निर्धारित छुट्टियाँ तक नहीं मिल रही हैं, तो फिर अनुबन्धित श्रमिकों को क्या लाभ मिलेगा, समझना आसान है।

स्थाई नौकरी हो जाएगी खत्म

देखने की बात यह है कि श्रम क़ानूनों में कर्मकारों का जो वर्गीकरण है, वह सभी मौजूद हैं, केवल 'फिक्स्ड टर्म' शब्द जोड़ा गया है। लेकिन इसका सीधा मतलब है कि कम्पनियां सीमित अवधि के अनुबन्ध पर ही नियोजन करेंगी। यह उन्हीं की माँग पर बना है। यह ठीक उसी प्रकार होगा, जैसे कर्मकार की परिभाषा में कैजुअल है, लेकिन उसका स्थान ठेका श्रमिक ने लिया। यह कब हो गया, किसी को पता भी नहीं चला।

वैसे, तमाम कंपनियां अवैध रूप से पहले से ही फिक्सड टर्म का धंधा चला रही थीं, लेकिन अब उसे कानूनी रूप भी मिल गया है।

यही है मोदी सरकार का 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार को आसान बनाने) का फण्डा।

'मेहनतकश' वेबसाइट से
mehnatkash.in

रोजगार की नई किस्में-2

नीम ट्रेनी : फोक़ट के नये मज़दूर

केन्द्र सरकार द्वारा 13 अक्टूबर, 2017 को जारी अधिसूचना से राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (नीम) नामक नया फण्डा सामने आया। मज़दूरों की गर्दन काटने वाला मालिकों के लिए तुरुप का यह पत्ता मोदी सरकार ने उस समय फेंका, जब घातक नोटबन्दी की सफलता के रूप में उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड में प्रचण्ड बहुमत से भाजपा की सरकारें बनने लगी थीं।

नीम ट्रेनी अन्दर ठेका श्रमिक बाहर

पिछले दो वर्षों के दौरान देखते ही देखते देशभर के तमाम कारखानों में नीम के तहत बड़े पैमाने पर मज़दूरों की भर्ती हो गई। इसमें संविदा श्रमिकों का स्थान नीम ट्रेनी ने तो ठेकेदारों का स्थान नीम एजेंट के रूप में एनजीओ कंपनियों ने ले लिया। रोजगार क्षमता वृद्धि के नाम पर हो रही इन भर्तियों के साथ ही लंबे समय से कार्यरत ठेका मज़दूर बड़े पैमाने पर निकाले जा चुके हैं, और निकाले जा रहे हैं।

ना कर्मकार, ना ही कोई अधिकार

नीम ट्रेनी ना तो श्रम क़ानूनों के तहत कर्मकार की परिभाषा में आता है, ना ही वह अपरेंटिस ऐक्ट के तहत प्रशिक्षु है। वह कथित रूप से कौशल विकास के लिए नियुक्त वास्तव में फोक़ट का मज़दूर है।

कर्मकार की किसी परिभाषा में न आने से वह पीएफ, ईएसआई, बोनस आदि का पात्र नहीं है। उसे अकुशल श्रेणी के निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी अलग वृतिका (स्टाइपेंड) मिलता है, जो अलग-अलग राज्यों के अनुसार भिन्न-भिन्न (औसतन 8500 रुपए मासिक) है। स्टाइपेंड सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका पहले साल 75 फीसदी हिस्सा व दूसरे साल 60 फीसदी हिस्सा सरकार द्वारा देने का प्रावधान है।

क्या है नीम परियोजना

सरकार के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इस प्रोग्राम को चला रहे संस्थान नेट्टूर टेक्निकल फाउंडेशन (एनटीटीएफ) एक एजुकेशन फाउंडेशन है। इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। एनटीटीएफ केंद्र सरकार के नेशनल एम्प्लॉएब्लिटी एनहांसमेंट मिशन (नीम) रेग्युलेशन 2013 के तहत काम करती है। ऐसे में फाउंडेशन के लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के तहत ट्रेनी के तौर पर चुने जाने वाले सभी लोग नीम ट्रेनी होते हैं।

नीम एजेंट का मतलब है- नीम फैसिलेटर (सुविधा प्रदाता)। कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी नीम एजेंट या फैसीलेटर की आवेदक हो सकती है। वह किसी भी पंजीकृत कम्पनी या उद्योग में अपनी हैसियत के अनुसार कौशल विकास के बहाने इन फोक़ट के मज़दूरों (ट्रेनी) की सप्लाई देती है।

5000 तक नीम ट्रेनी रखने की छूट

कथित प्रशिक्षुओं की संख्या भी कम्पनी की हैसियत से निर्धारित होते हैं, जो कि काफी अधिक है। 25 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाली कम्पनी में प्रति वर्ष 5000 प्रशिक्षु, 15-25 करोड़ रुपए टर्नओवर वाली कम्पनी को 3000 प्रशिक्षु और 5-15 करोड़ रुपए टर्नओवर वाली कम्पनी में 1000 प्रशिक्षु रखने का प्रावधान है।

ग़ौरतलब है कि अपरेटिंस ऐक्ट के तहत स्थाई ऑपरेटर के अनुपात में ही प्रशिक्षु रखने का प्रावधान है, जोकि बेहद सीमित है। लेकिन नीम ट्रेनी के तहत यह कम्पनी के टर्न ओवर से निर्धारित हो रहा है। साफ है कि कम्पनी को जितने भी फोक़ट के मज़दूरों की आवश्यकता होगी, एनजीओ फैसीलेटर उन्हें मुहैया करायेगा।

ठेका श्रमिकों के स्थान पर नीम ट्रेनी

संविदा श्रमिकों का सप्लायर ठेकेदार होता है। लेकिन कौशल विकास के नाम पर इन मज़दूरों का आपूर्तिकर्ता नीम एजेण्ट है। ठेकेदार श्रम विभाग में पंजीकृत होता है, जबकि नीम एजेण्ट की श्रम विभाग में पंजीकरण की बाध्यता नहीं है, क्योंकि वह श्रमिक नहीं है। उसका वास्ता कौशल विकास विभाग से है। हालांकि कई राज्यों में श्रम विभाग का नाम श्रम एवं कौशल विभाग हो गया है। नई स्थितियों में नीम ट्रेनी ठेका श्रमिकों का स्थान ले चुके हैं।

किशोरों से काम लेने की छूट

इसके तहत 16 से 40 साल उम्र के युवा भरती हो सकते हैं। जिनकी योग्यता 10वीं पास के साथ शारिरिक रूप से स्वस्थ्य व मजबूत होना है। यानी 18 साल से कम उम्र के किशोरों से भी कौशल विकास के नाम पर काम कराने की क़ानूनन छूट मिल गई है। मतलब काम करने के लिए बलिस्ट मुर्गा चाहिए!

बंधुआ बनाने वाला अनुबन्ध पत्र

नीम ट्रेनी कथित रूप से अनुबन्ध है। कम्पनियाँ कभी भी अनुबंध को समाप्त करने, मनमर्जी काम के घंटे तय करने, मनमाने नियम बनाने आदि के लिए स्वतंत्र हैं।

नीम के तहत भर्ती होने वाले प्रशिक्षु को एक शपथ पत्र और एक संविदा पत्र भरना होता है, जिसकी कई शर्तें बेहद खतरनाक हैं। श्रमिक की कथित विफलता से यदि संविदा को समाप्त कर दिया जाता है तो प्रशिक्षण की लागत के बहाने कंपनी उससे पूरा पैसा वसूल सकती है। कम्पनी को वृतिका (स्टाइपेंड) मे भी कटौती का अधिकार है।

असुरक्षित रोजगार का क़ानूनी रूप

कुल मिलाकर मालिक वर्ग जैसा अधिकार विहीन मज़दूर चाहता है, मोदी सरकार ने उसी अनुरूप कानूनी रूप दिया है, और दे रही है। मोदी सरकार स्थाई रोजगार की जगह इसी प्रकार असुरक्षित रोजगार के फण्डों को क़ानूनी रूप दे चुकी है और दे रही है।

मज़दूर-मेहनतकश मन्दिर, राष्ट्र, कश्मीर आदि के नशे की खुराक़ लेकर मस्त है और उसकी गर्दन पर तलवारें तेजी से चल रही हैं!

'मेहनतकश' वेबसाइट से
mehnatkash.in

300 सरकारी निगमों और कंपनियों पर गिद्धदृष्टि

प्रदीप श्रीवास्तव

मोदी सरकार-2 के कार्यकाल में निजीकरण के पहिए की चाल तेज हो गई है। सरकार उन कंपनियों को भी निशाना बना रही है, जो देश की अर्थव्यस्था व सुरक्षा की नजर में समाज की रीढ़ हैं। इसके लिए बकायदा प्रचार तंत्र से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जिससे वह सही और गलत का फैसला तक न कर सकें? इसका सबसे अच्छा उदाहरण देश की फायदे में चलने वाली रेलवे, बीएसएनएल, शिपिंग कंपनी, कोल इंडिया व दूसरी नवरत्न कंपनियां हैं।

कंपनियों के स्टॉफ में कमी और सेवाओं को नष्टभ्रष्ट करने के लिए बजट का अभाव पैदा किया जा रहा है, फिर उन्हें घाटे में दिखाया जा रहा है। इसके बाद उस विभाग को चरणबद्ध तरीके से सेवाओं व उत्पाद को बेहतर बनाने के नाम पर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार रेलवे, आर्डिनेंस फैक्ट्री, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन सहित 300 से ज्यादा नियम या सरकारी कंपनियों को बेचने की रूपरेखा तैयार कर चुकी है।

रेलवे को पटरी से उतारने की योजना

देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर यानी रेलवे को पूरी तरीके से कारपोरेट के हवाले करने के लिए सबसे पहले रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा बनाने और सेवाओं को अच्छा करने के बहाने कई कामों को आउटसोर्सिंग यानी ठेके पर दिया गया। रेलवे के सभी सात कोच, इंजन व वैगन कारखानों को पहले निगम में तब्दील किया गया। और अब पूँजीपतियों को सौंपा जा रहा है। इसके अलावा, मार्च 2020 तक 55 वर्ष से अधिक उम्र अथवा 30 साल से अधिक सेवा पूरी करने वाले रेलवे कर्मचारियों की छँटनी की जा रही हे। यह छँटनी वीआरएस के नाम पर की जा रही है, जिससे रेलवे कर्मचारियों में आक्रोश पैदा न हो।

रेलवे में स्टॉफ व हेल्पर के कार्य आउटसोर्स किए जाने की योजना फाइनल है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने जोन महाप्रबंधकों को रूपरेखा

तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। यह तब किया जा रहा है जब रेलवे को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए रेगुलर स्टाफ की और युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है।

मालूम हो कि देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर यानी रेलवे में कुछ दशक पहले 21 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्य करते थे। आज रेलवे का नेटवर्क पहले से काफी बढ़ा है, ट्रेनों की संख्या भी काफी अधिक हुई है, इसके बावजूद कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है। अभी रेलवे में करीब 14 लाख कर्मचारी है, जिन्हें कम करके 9 लाख कर्मचारी करना है।

दूरसंचार विभाग के आधार को किया जा रहा खोखला

सरकारी दूरसंचार विभाग को सबसे पहले सरकार ने एक कंपनी में तब्दील किया। इसके बाद इसकी सेवाओं व उत्पादों को काटछाँट कर इसे घाटे में ले गई। और अब कंपनी के कर्मचारियों को वीआरएस देकर विभाग को पूरी तरह से बंद करना चाहती है या किसी पूँजीपति को औनपौने दामों पर बेच देना चाहती है।

बीएसएनल की तरफ से कर्मचारियों के लिए वीआरएस के बहाने जबरिया अवकाश दिया जा रहा है। सरकार ने कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है, जिससे वह मजबूरन वीआरएस को ही स्वीकार करें। सरकार को उम्मीद है कि 70 से 80 हजार कर्मचारी वीआरएस ले लेंगे, जिससे वेतन के 7 हजार करोड़ रुपए सरकार बचा सकेगी। 50 साल से अधिक उम्र के सभी कर्मचारी इस स्कीम के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं।

बीएसएनएल में करीब 1.5 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, इनमें से 1 लाख कर्मचारी वीआरएस के दायरे में हैं। अगर यह चले जाएंगे तो बीएसएनएल चलेगा कैसे? सरकार 7 हजार करोड़ रुपये किसके लिए बचा रही है? इससे देश का क्या भला होगा? पता नहीं, लेकिन अंबानी की जीओ की दुकान दौड़ पड़ेगी।

यह सब अंबानी के लिए हो रहा है! वह भी ऐसे समय में जब दुनिया के सभी देशों में दूरसंचार मोटे मुनाफे वाला सेक्टर है। बीएसएनएल पर लोगों को खूब विश्वास था, लेकिन चरणबद्ध तरीके से सरकार ने इसे बर्बाद कर दिया।

शिपिंग कारपोरेशन को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी

शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी कंपनी है, जो समुद्र के रास्ते आयातित माल का 75 प्रतिशत संभालती है। यह सार्वजनिक शिपिंग कॉरपोरेशन देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की जान है। कंपनी के पास करीब 120 करोड़ रुपये के लगभग 70 प्रकार के मालवाहक जहाज हैं।

मोदी सरकार का टारगेट अब इसकी संपतियों को बोली लगाकर बेचने का है। 63 प्रतिशत संपतियों को अलग-अलग प्रकार से बेचने की सिफारिश कैबिनेट को भेजी जा चुकी है।

शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के पास पाँच बहुत बड़े कच्चे वाहक, 29 छोटे कच्चे टैंकर और गैस वाहक है। इसके अलावा सभी भारतीय जलजनित कार्गो का एक तिहाई हिस्सा कंपनी देखती है। इसके हिस्से में ड्राई बल्क कैरियर, कंटेनर जहाज और कई घाट भी हैं। हालांकि, सरकार ने 2017 में भी अपनी हिस्सेदारी

पूँजीपतियों के हवाले होंगी कंपनियाँ

बेचने की कोशिश की लेकिन शिपिंग मंत्रालय सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा विरोध के कारण इसे रद्द करना पड़ा। विरोध करने वालों का तर्क था कि राष्ट्रीय संपत्ति को बेचना गलत है।

कंपनियों को बेचने के लिए अपनाए जा रह हैं नए-नए हथकंडे

सरकार तीन सार्वजनिक उपक्रमों - कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर), नीपको तथा टीएचडीसी इंडिया में नियंत्रक हिस्सेदारी की बिक्री के संबंध में सलाहकारों को अनुबंधित करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं, इससे इन कंपनियों पर एक प्रकार से सरकार का स्वामित्व खतम हो जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉनकॉर में 54.80 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की छूट दे दी है। इस हिस्सेदारी बिक्री के बाद सरकार का कंपनी से प्रबंधकीय नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। बिजली कंपनियों - टीएचडीसी इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन (नीपको) में हिस्सेदारी बेचने के लिए भी एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन) को मंजूरी दे दी है।

आपको बताते चलें कि रणनीतिक विनिवेश के तहत खरीददार के पास प्रबंधन नियंत्रण भी रहता है। टीएचडीसी केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 75-25 अनुपात का संयुक्त उद्यम है। केंद्र सरकार की नीपको में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में सरकार के पूरे 53.29 प्रतिशत हिस्से को बेचने के लिए भी हामी भरी है। मजेदार बात यह है कि सरकार ने बीपीसीएल के राष्ट्रीकरण संबंधी कानून को 2016 में रद्द कर दिया था, जिससे इसे भविष्य में बेचा जा सके। अब बीपीसीएल को निजी कंपनियों को बेचने के लिए सरकार को संसद की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार, एनटीपीसी के शेयर को कम करके इसे प्राइवेट हाथों में बेच देना चाहती है। वर्तमान में कंपनी में केंद्र सरकार का 54 प्रतिशत शेयर है।

घट रही हैं नौकरियां, बढ़ रहा है पूँजीपतियों का मुनाफा

एक तरफ तो सरकार कंपनियों को बेच रही है, जबकि दूसरी ओर रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। 2011-12 और 2017-18 के बीच लगातार नौकरियां घटी हैं। हालत यह है कि पिछले छह साल के दौरान 90 लाख नौकरियां घटी हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की तरफ से प्रकाशित एक शोध के अनुसार 2011-12 से 2017-18 के दौरान कुल रोजगार

में 90 लाख की कमी आई है। ऐसा आज़ाद भारत में पहली बार हुआ है।

कृषि सेक्टर में 2011-12 से 2017-18 के दौरान कुल रोजगार दर घटी है। कृषि और संबद्ध सेक्टर में रोजगार दर 49 फीसदी से घटकर लगभग 44 फीसदी हो गई। श्रम प्रधान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार में 35 लाख की गिरावट दर्ज की गई है। मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार दर 12.6 फीसदी से घटकर 12.1 फीसदी हो गई। जानकारों की मानें तो भारत के इतिहास में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नौकरियां घटी हैं। इसकी एक वजह नोटबंदी और जीएसटी भी है, जिससे बड़े पूँजीपतियों को काफी लाभ हुआ है।

वास्तव में यह सिर्फ विकास दर में गिरावट नहीं है बल्कि पूर्ण आंकड़ों में भी गिरावट है। यह हालत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार में गिरावट केंद्र सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के विपरीत है। देश में लेबर फोर्स में आने वाले लोगों की संख्या 2011-12 से बढ़ रही है, लेकिन 2004-05 से 2011-12 के बीच रोजगार मामूली बढ़ा है।

यह सब होने के साथ ही देश में अमीरों की संख्या भी हर साल की तरह इस साल भी बढ़ी है। अमीरों की संपत्ति की वृद्धि दर 2018 में 9.62 प्रतिशत रही। कार्वी वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, इसके साथ ही 2018 में बड़े अमीरों की संख्या घटकर 2.56 लाख रह गई है, जो 2017 में 2.63 लाख थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अमीरों के पास 2018 में कुल 430 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियां थीं। 2017 में इनके पास 392 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियां थीं। ऐसे लोग जिनके पास 10 लाख डॉलर से अधिक का निवेश योग्य अधिशेष है, बड़े अमीरों की श्रेणी में आते हैं। अमीर और ग़रीब के बीच बढ़ती खाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन, सरकार को इससे कोई मतलब ही नहीं है।

एफडीआई से पूर्व कोल इंडिया में तेजी से घटती नौकरियां

धनबाद। एक तरफ सरकारी कोयला खदानों को विदेशी कंपनियों के हवाले करने के लिए मोदी सरकार ने 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी है। दूसरी ओर कोल खदानों में मज़दूरों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। मौत, रिटायरमेंट, बर्खास्तगी आदि से भारी पैमाने पर होने वाली रिक्तियों पर स्थाई भर्ती बंद है। अगले तीन सालों में कोल इण्डिया के मौजूदा करीब तीन लाख मज़दूरों में से 64 हजार की सेवानिवृत्त होने तक स्थिति और भयावह हो जाएगी।

कोल इंडिया ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें साफ है कि 63428 कर्मी अगले तीन साल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कोल इंडिया की कुल श्रम शक्ति अभी 285479 है। इसमें 25 साल उम्र के 6463 कर्मी है। 61649 कर्मियों की संख्या 51 से 55 साल के बीच है। बीसीसीएल में अगले तीन साल में 8809 तो ईसीएल में 10540 कर्मी सेवानिवृत्त होंगे।

कोयला मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में पूरे कोल इंडिया में 2216 कर्मियों की मौत हुई है। इसमें बीसीसीएल के 565, ईसीएल के 358, सीसीएल रांची के 362 तो सीएमपीडीआइएल के 18 कर्मी हैं।

कोल इंडिया ने महज पिछले वर्ष कथित आरोपों में मनमाने तरीके से 552 कर्मियों को बर्खास्त किया है। इनमें बीसीसीएल के 38, ईसीएल के 156, सीसीएल के 33, डब्ल्यूसीएल के 160, एसईसीएल के 123 एमसीएल के 33, सीएमपीडीआइएल के पाँच कर्मी शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश

बन्द होगा होण्डा कार का नोएडा प्लांट

नोएडा। भारतीय बाजार में मंदी के बहाने जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा कार इण्डिया लिमिटेड ग्रेटर नोएडा स्थित अपने प्लांट को बंद करने की तैयारी में है। उसने प्लांट में उत्पादन गिरा दिया है और प्लांट के काम को धीरे-धीरे टापूकड़ा (राजस्थान) शिफ्ट करती रही। दो महीने पहले कम्पनी कैजुअल व ठेका मज़दूरों की छँटनी भी कर चुकी है। अब स्थाई श्रमिकों के सिर पर भी छँटनी की तलवार लटक गई है।

दरअसल कंपनियों का एक धंधा बन गया है- एक राज्य से सब्सिडी व टैक्स आदि रियायतों का लाभ उठाकर मज़दूरों के पेट पर लात मारकर दूसरे राज्य में पलायन कर जाओ। सन 2008-09 में होंडा पॉवर प्रोडक्ट रुद्रपुर (उत्तराखंड) से ऐसे ही ग्रेटर नोएडा पलायन कर चुकी है।

होंडा की पहली कार यूनिट है होंडा सील

होंडा कार इंडिया की भारत में दो कार उत्पादन इकाइयाँ हैं, जिसमें से एक नोएडा में है और दूसरा राजस्थान के टापूकड़ा में मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपने उत्पादन को ग्रेटर नोएडा से हटाकर टापूकड़ा में शिफ्ट कर रही है। होंडा गुजरात में खरीदी जमीन को भी बेच देगी।

ग्रेटर नोएडा स्थित होंडा कार प्लांट भारत में कंपनी की पहली यूनिट है। यह श्रीराम ग्रुप के सीयल के संयुक्त उपक्रम के रूप में शुरू हुई थी। मौजूदा समय में ग्रेटर नोएडा प्लांट में उत्पादन की सालाना क्षमता 1.2 लाख यूनिट्स है। हालांकि, मंदी के चलते उत्पादन अब 2,500 यूनिट्स प्रति महीना (सालाना 30,000) हो गयी।

मंदी तो बहाना है

होंडा कार्स का कहना है कि मौजूदा स्थिति में ऑटो सेक्टर मंदी से गुजर रहा है। पिछले चार वर्षों में बिक्री लगभग आधी हो गई है। चालू वित्त वर्ष में बिक्री 1 लाख यूनिट्स से भी कम रही है। इससे पूर्व होंडा कार ने घाटे के बहाने होंडा पॉवर प्रोडक्ट्स व अन्य सहायक इकाइयों से अनुदान भी ले चुकी है।

इससे साफ है कि होण्डा कम्पनी मंदी के बहाने अपनी ख़तरनाक़ योजना पर गुप-चुप रूप से पहले से ही कार्य कर रही थी।

होंडा पॉवर प्लांट भी हो चुका है शिफ्ट

कम्पनी का तर्क है कि दो प्लांटों में उत्पादन से तालमेल में दिक्कतों व लगत में कमी के लिए एक जगह उत्पादन को केन्द्रित किया जा रहा है। कम्पनी ने जब रुद्रपुर से होण्डा पॉवर प्रोडक्ट प्लांट को शिफ्ट किया था, तब भी यही तर्क दिया था। उस वक़्त पीडीसी उत्पादन का बहाना लिया था कि इससे कार व जनरेटर दोनों को आपूर्ति में सहूलियत होगी। वर्तमान में भी पीडीसी इकाई कार प्लांट के बगल में स्थित होंडा पॉवर प्रोडक्ट्स प्लांट में है। तो क्या कम्पनी होंडा पॉवर प्रोडक्ट्स प्लांट को भी शिफ्ट करेगी?

यह निचोड़कर फेंक देने का धंधा है

ऐसे हालात में संकटों का सारा बोझ मज़दूरों के ऊपर ही पड़ना है। कैजुअल-ठेका मज़दूर पहले ही निकाले जा चुके हैं। स्थाई मज़दूर उहापोह की स्थिति में हैं। और मुनाफाखोर कंपनियों का मज़दूरों को निचोड़कर फेंक देने का धंधा जारी है।

योगी राज में एक के बाद एक घोटाले

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के राम राज्य में घोटाले दर घोटालों की कड़ी में विद्युत व यूपी सिडको कर्मचारियों के भविष्यनिधि में घोटाले, होमगार्ड रकम घोटाले की फाइलें आग के हवाले जैसी घटनाएं उजागर हुई हैं।

भविष्य निधि का 2631 करोड़ों रुपये डीएचएफएल में किया निवेश

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की भविष्य निधि के 2,631 करोड़ों रुपये का अनियमित तरीके से निजी कंपनी डीएचएफएल (दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) में निवेश किया गया है। डीएचएफएल कंपनी कथित रूप से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मिर्ची से जुड़ा हुआ है।

इस बीच बिजली कर्मचारियों के भविष्यनिधि का डीएचएफएल में निवेश की डील करवाने वाली 12 फर्मों में से पाँच का भौतिक सत्यापन हुआ, जिसमें सभी फर्में फर्जी निकल चुकी हैं। पाँचों फर्म गाजियाबाद, मेरठ व दिल्ली की बताई गईं, लेकिन इनके नाम-पते गलत पाए गए।

यूपी सिडको का पीएफ घोटाला भी आया सामने

बिजली विभाग के कर्मचारियों की भविष्य निधि में हुआ घोटाला सामने आने के बाद अब एक और घोटाले के बारे में पता चला है। यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन ऐंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपी सिडको) के कर्मचारियों के पीएफ में से 5.5 करोड़ रुपये का निवेश डीएचएफएल में किया गया है।

होमगार्ड रकम घोटाले की पफाइलें हुई आग के हवाले

गौतमबुद्ध नगर स्थित डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ऑफिस में होमगार्ड के वेतन घोटाले की जाँच पूरी होने से पहले ही रेकॉर्ड जला दिए गए।

अपराधियो ने पहले रेकॉर्ड रूम के गेट का ताला तोड़ा। फिर जिस बॉक्स में मस्टररोल रखे गए थे उसका ताला तोड़कर उसे खोला, 2 अन्य अलमारियों का ताला तोड़कर भी मस्टररोल निकाले गए और उसी बक्से में डालकर 2014 से अब तक के मस्टररोल सहित पूरे बक्से को आग के हवाले कर दिया। ज़ाहिर है आग लगाने वाला रेकॉर्ड से पूरी तरह से वाकिफ था।

दरअसल होमगार्ड वेतन घोटाला कई वर्षों से चल रहा था। होमगार्ड विभाग के अधिकारियों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर और मुहर का इस्तेमाल करके तैयार मस्टररोल में असल तैनाती की जगह ज्यादा संख्या में होमगार्डों की ड्यूटी दिखाई गई और वेतन की रकम अधिकारी डकारते रहे।

विद्युत कर्मियों ने किया विरोध

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने पीएफ घोटाले के विरोध में दो दिवसीय हड़ताल के साथ जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा 20 नवंबर से किए जाने वाले कार्य बहिष्कार का पुरजोर समर्थन किया।

क्या यही है रामराज्य!

असल में योगी राज में घोटालों का पूरा साम्राज्य बन गया है। लेकिन गोरक्षा, लब ज़ेहाद, मंदिर जैसे मुद्दों की हवा में विकास व रोजगार गायब हैं और घोटाले बढ़ते जा रहे हैं।

यही राम राज्य है!

हरियाणा

होंडा ठेका मज़दूरों का ऐतिहासिक संघर्ष

मेहनतकश प्रतिनिधि

मानेसर। होंडा, मानेसर के लगभग डेढ़ हज़ार ठेका मज़दूर कंम्पनी द्वारा मंदी के बहाने अन्यायपूर्ण छँटनी के ख़िलाफ पिछले 5 नवम्बर से संघर्षरत हैं और आन्दोलन जारी है।

संघर्ष की पृष्ठिभूमि

होंडा मैनेजमेंट हर 11 महीने में ठेका मज़दूरों का ठेका बदलकर रि-ज्वाइनिंग करा देता है, ताकि सालों से स्थायी उत्पादन में काम कर रहे ठेका मज़दूर स्थायीकरण की माँग उठा न सकें। मगर 4 नवम्बर को मंदी के बहाने कंपनी ने ठेका मज़दूरों का एक हिस्सा, जिनका मार्च तक 11 महीना पूरा होना है, को नौकरी से निकाल दिया। 5 नवम्बर की सुबह छँटनी के शिकार करीब 650 मज़दूर कंपनी के बाहर और करीब हज़ार ठेका मज़दूर कंपनी के अन्दर काम बंद करके धरने पर बैठ गए, उत्पादन ठप्प हो गया।

उत्पादन ठप्प, कम्पनी ने बढ़ाया दमन

स्थायी मज़दूरों से कंपनी ने उत्पादन जारी रखने का कोशिश तो की, मगर मुश्किल से 100-150 गाड़ियाँ एक दिन में बन पाईं, जिन गाड़ियों को भी रिपेयरिंग के लिए भेजना पड़ा। 7 नवम्बर से उत्पादन बंद हो गया। 5 नवम्बर से 18 नवम्बर तक लगभग हज़ार ठेका मज़दूर प्लांट के अन्दर बैठे रहे। जबकि कंपनी ने एक को छोड़कर बाकि सब टॉयलेट बंद कर दिया था। दिन में खाने के लिए सिर्फ एक बार दूध-केला मिलता था, नहाने-धोने का मौका नहीं था। 33 मज़दूरों को डेंगू और अलग अलग बीमारी ने पकड़ लिया। फिर भी मज़दूरों ने हौसला बुलंद रखा। बाकि 650 मज़दूरों ने गेट के बाहर धरना जारी रखा।

अंततः 18 नवम्बर को सिविल कोर्ट के आदेश और प्रशासन के आश्वासन पर अन्दर के मज़दूर बाहर आये और कंपनी गेट के बाहर स्थायीकरण या पर्याप्त मुआवज़ा की माँगों को लेकर धरना दिया जो अभी भी चल रहा है। श्रम विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों से ठेका मज़दूर प्रतिनिधि और होंडा यूनियन प्रतिनिधियों के बीच समझौता वार्ता चल रही है।

क्यों है यह एक ऐतिहासिक आन्दोलन

होंडा मज़दूरों का यह आन्दोलन एक ऐतिहासिक आन्दोलन का रूप लिया है। पूरे आद्योगिक क्षेत्र में पहली बार ठेका मज़दूरों ने किसी कंपनी में काम बंद करके 15 दिन तक प्लांट के अन्दर कब्जा करके बैठे रहे। शोषण और छँटनी के वावजूद पिछले एक समय आम तौर पर ठेका मज़दूर ज्यादा दूर तक लड़ नहीं पा रहे थे (डाईकिन, ओमैक्स, हीरो, अस्ति जैसे कुछ उदाहरणों को छोड़कर)। आर्थिक मंदी की मार ठेका और अस्थायी मज़दूरों पर ही सबसे ज्यादा पड़ी। हजारो की तादाद में ठेका मज़दूर अलग अलग कंपनियों से निकाले गए। मगर खास कोई प्रतिरोध बना नहीं पाए।

ऐसी स्थिति में होंडा मज़दूरों का यह जुझारू संघर्ष यही बताता है कि मंदी का बोझ पूँजीपतियों और सरकार द्वारा मज़दूर वर्ग के सबसे असुरक्षित तबके पर थोपने की कोशिश मज़दूर सहन नहीं करेगा।

लम्बे समय से कार्यरत हैं मज़दूर

होंडा के संघर्षरत सभी मज़दूर साथी काफी अनुभवी है। सभी मज़दूर 2014 के पहले से प्लांट में काम कर रहे है। कई मज़दूर 2008 के पहले के भी हैं। 11 महीने बाद इनकी रि-ज्वाइनिंग करवाया जाता है। पहले हर साल 50 मज़दूरों को वरिष्ठता के आधार पर और 50 मज़दूरों को टेस्ट के आधार पर स्थायी किया जाता था। मगर अभी 4 साल से टेस्ट बंद हो गया है। वरिष्ठता के आधार पर भी इस साल किसी को स्थायी नहीं किया गया।

2014 के जिन मज़दूरों को ठेके पर लिया गया था, उनको हर साल रि-ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया, बीच बीच में निकाल दिया गया। ज्यादातर को एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर लिया गया। पिछले अगस्त महीने में करीब 800 मज़दूरों को दीपावली का बोनस व अन्य सुविधाएँ दिए बगैर कंपनी से निकाल दिया गया था, बोला गया था की बाद में ले लिया जायेगा, मगर किसी मज़दूर को नहीं लिया गया।

क्योंकि फोकट के नीम ट्रेनी मज़दूर मिल रहे हैं

2018 से साल में 3-3 महीनों तक ठेका मज़दूरों को बिना वेतन 'ब्रेक' दिया गया। पिछले 2 साल से करीब 800 'नीम' मज़दूर भर्ती किये गये हैं। 'नीम' ट्रेनी मज़दूरों को सिर्फ 11 हज़ार रुपये देना पड़ता है, जिसमे से आधा सरकार देती है। जबकि ठेका मज़दूरों को 16 हज़ार रुपये महीने देने पड़ते हैं। ठेका मज़दूरों के वेतन में 2016 के बाद कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ठेका और नीम मज़दूर स्थायी मज़दूर जैसा ही काम करते हैं, जबकि स्थायी मज़दूरों का वेतन महीने में 60-70 हज़ार है।

दमन के बाद 2005 में बनी थी यूनियन

पुलिसिया दमन को झेलकर काफी संघर्ष के बाद होंडा में 2005 में यूनियन बनी थी, जो मानेसर की पहली यूनियन थी। तब स्थायी मज़दूरों का वेतन भी सिर्फ 6500 रुपये प्रति महीना था। यूनियन बनने के बाद स्थायी मज़दूरों के वेतन में तो काफी बढ़ोतरी हुई, मगर ठेका मज़दूरों को ज्यादा फायदा नहीं मिला।

ठेका मज़दूरों ने पहले भी किया था संघर्ष

2008 और 2010 में भी होंडा के ठेका मज़दूरों ने संघर्ष किया था। पिछले सालों में भी कई बार बीच-बीच में इनका गुस्सा फूटा था। मज़दूरों ने खाना बंद किया, काम रोक दिया। मगर इस बार जब नौकरी ही खतरे में आ गई तो उनको संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ा।

ठेका मजदूरों के लिए उम्मीद की किरण

होंडा मज़दूरों के संघर्ष का नतीजा क्या निकलेगा अभी देखना है। अभी तक उन्हें होंडा यूनियन और इलाके की बाकि यूनियनों जैसे रिको, मारुति, बेलसोनिका, डाईकिन, होंडा 2एफ, मोजर बियर आदि का समर्थन और सहयोग मिला है। श्रम कानूनों को बदलकर नौकरी को और असुरक्षित करने के खिलाफ, मंदी का बोझ मज़दूरों पर थोपने के खिलाफ, ठेकाकरण के खिलाफ यह लड़ाई औद्योगिक क्षेत्र और देश के करोड़ों ठेका-अस्थायी मज़दूरों के बीच कोई उम्मीद और संघर्ष का जज्बा अगर पैदा कर सके तो मज़दूर आन्दोलन में एक महत्वपूर्ण घटना होगी।

मज़दूरों के हालात और संघर्ष की स्थितिओं पर यूनियन नेताओं की सोच

आज के दौर में, जब श्रम क़ानूनी अधिकार छिन रहे हैं, 'रखने–निकालने की छूट' वाले रोजगार के नये रूप आ गये हैं और मज़दूर गैर मुद्दों पर भ्रमित हैं, तब मज़दूर आन्दोल की समस्याओं पर यूनियन नेता क्या सोच रहे हैं? 'मेहनतकश' टीम द्वारा कुछ यूनियन प्रतिनिधियों से जानी गई राय प्रस्तुत है।

टीम द्वारा यूनियन नेताओं से पूछे गये सवाल–

1– श्रम कानून बदल रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं?

2– रोजगार के नए रूपों फिक्सड टर्म व नीम ट्रेनी से आपके प्लांट में क्या फर्क़ पड़ रहा है?

3– क्या इस दौर में छाँटनी व तालाबंदी बढ़ रही है?

4– आज मज़दूरों को संगठित होने की प्रमुख चुनौतियाँ क्या है?

5– आपको ठेका व स्थाई श्रमिकों को एक साथ संगठित करने की समस्या क्या लगती है?

6– आज मज़दूरों को क्या प्रभावित कर रहा है– पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, गोरक्षा जैसे मुद्दे या श्रमिक अधिकारों पर बढ़ते हमले, छाँटनी–तालाबंदी जैसी समस्या?

7– यूनियनों को आज के समय की चुनौतियों को किस प्रकार हल करना चाहिए?

एक जुट और एक मुठ होना होगा!

1– श्रम कानून का बदलना सीधे-सीधे मज़दूरों का शोषण करना है। इससे पहले से ही शोषण और दमन की नीति से कार्य करवा रहे मालिकों को ही फायदा होगा। समाज में मज़दूर अपनी बात को कभी भी नही रख पायेगा। अपने अधिकारों के लिए पहले कानून व्यवस्था के चलते थोडा बहुत लड़ भी लेता था, पर जब बचे खुचे नियम ही ख़त्म हो जायेंगे तो फिर कैसे अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपनी आवाज उठा सकेगा?

2– मैं जिस प्लांट में कार्यरत हूँ वँहा पर अभी फिक्सड टर्म व नीम ट्रेनी स्किम लागू नही हुई है, परन्तु मोदी सरकार जैसे श्रम कानूनों को बदल रही है और जो ये फिक्सड टर्म, नीम ट्रेनी जैसी व्यवस्था ला रहे हैं इससे सीधे लग रहा है की हम पुनः गुलामी की जंजीरो में जकड़ने वाले हैं। ये रोजगार के नए श्रोत नही अपितु दीमक के घुन की तरह हमे धीरे-धीरे ख़त्म करने की पूरी कोशिश है।

3– निसन्देह आज छँटनी और तालाबन्दी अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई है, जिसका मूल कारण मालिको द्वारा सरकार के साथ मिलकर करोड़ो की सब्सिड़ी डकारना, मिली छुट से अपना भला कर भाग जाना इत्यादि है।

4– आज मज़दूर संगठित नही हो पा रहे हैं जिसका मूल कारण हम मज़दूर वर्ग में एकता नही है। फिर अगर थोड़ी एकता भी है तो निजी स्वार्थ के कारण हम संगठित नही हो पा रहे हैं। ये हम मज़दूर वर्ग में सबसे बड़ी कमजोरी है कि जब मेरा सही चल रहा है में क्यूं दूसरे की सहायता करूं। ऊपर से जातिवाद-क्षेत्रवाद जैसे बंटवारे भी बड़ी समस्या हैं। ऐसी धारणा का त्याग करना होगा और समाज के हर मज़दूर वर्ग की लड़ाई एकताबद्ध संगठन से लड़नी होगी।

5– ठेका व स्थाई श्रमिकों को एक साथ संगठित करने की समस्या का जबाब पीछे हम दे चुके हैं। हमें अपने निजी स्वार्थ से बाहर निकलकर पूरे मज़दूरवर्ग के हित को देखना होगा। ठेका-स्थाई की मजबूत एकता बनाकर सारे मज़दूरों को संगठित करने के लिए यह जरूरी है।

6– आज मज़दूरों को सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई चीज कर रहा है तो वह है एकता का नही बन पाना। सभी मज़दूर चाहे वह स्थाई हो चाहे ठेकेदार का हो, चाहें असंगठित क्षेत्र का मज़दूर हो, हम एक नही हो पा रहे हैं। कोई राष्ट् के नाम पर बट गया कोई क्षेत्रवाद के नाम पर, कोई निजी स्वार्थ के नाम पर। कश्मीर, पाकिस्तान, मन्दिर-मस्जिद, गोरक्षा आदि हमारी ज़िदगी से जुड़ी मूल समस्याओं से भटकाने और हमारी एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज में जहर घोल रहे हैं। समाज से इन कुरतियो को कैसे समाप्त करना है इसपर और ज्यादा सोचना होगा। असल में मज़दूरों पर बढ़ रहे हमले छँटनी तालाबन्दी और बदलते श्रम कानून ही मज़दूरों की मूल समस्या है।

7– आज जब यूनियन के अधिकार को ही छीना जा रहा है, तब यूनियनों की चुनौतियाँ और ज्यादा बढ़ गयी हैं। पूरे देश में मज़दूर आन्दोलन बिखरा हुआ है। मज़दूरों पर इतने बड़े हमले हो रहे हैं लेकिन कोई बड़ा आन्दोलन नहीं बन पा रहा है। महासंघों द्वारा साल में एक-दो दिन की हड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है। हमे समाज में प्रत्येक वर्ग के ऊपर हो रहे हमलों, दमन और शोषण के ख़िलाफ एक आवाज उठाने के लिए एकजुट और एकमुठ हो कर आगे आना होगा। लगातार हमलों के ख़िलाफ लगातार आन्दोलन बढ़ाना होगा। इसके लिए निजी स्वार्थ की भावनाओं का त्याग करना होगा, समाज में मज़दूर भाई चारा बढ़ाना होगा।

–चन्द्र मोहन लखेड़ा,
महामंत्री, नेस्ले कर्मचारी संगठन, पंतनगर

संघर्ष द्वारा चुनौतियों से निपटना होगा!

1–श्रम कानूनों में बदलाव मज़दूर के हक़ पर हमला है।

2–रोजगार के नए रूपों से सिर्फ मालिको को सस्ते मज़दूर मिल रहे हैं और कुछ नहीं। और बरसों से स्थायी होने की बाट जोह रहे मज़दूर अब आखिरी उम्मीद भी खो चुके हैं।

3–हाँ छाँटनी व तालाबंदी बढ़ रही हैं।

4–आज प्रमुख चुनौती प्रबन्धन के साथ साथ सरकार और प्रशासन से भी लड़ने की चुनौती है।

5–प्रबन्धन की फुट डालो और राज करो कि नीति जो हमेशा ठेका मजदूरों और स्थायी मजदूरों को एक जुट नही होने देती।

6–श्रमिक अधिकारों पर बढ़ते हमले और तालाबंदी, छटनी प्रभावित कर रहे हैं।

7–यूनियन को आज संघर्ष के माध्यम से और आंदोलनों के माध्यम से चुनौतियों से निबटना चाहिये।

–दिनेश आर्या
अध्यक्ष, टाटा मोटर्स लि. श्रमिक संघ, पंतनगर, उत्तराखण्ड

यूनियन नेताओं की सोच

देश हित के बहाने मज़दूरों से धोखा

1- श्रम कानूनों में जो बदलाव हुआ है उससे साफ है कि सरकार मज़दूरों के लिए कुछ नहीं सोचती, वह मज़दूरों के ख़िलाफ है। इस तरह मज़दूरों का भविष्य अंधकारमय है। खासकर ठेका मज़दूरों पर हमला किया गया है, रोजगार के नए रूप के नाम पर धोखा है। ये कैसा देशहित है?

2- सरकार जो नीम ट्रेनी और फिक्स्ड टर्म नौकरी की जो नई कैटेगरी लेकर आयी है उससे स्थायीकरण की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है। प्लांट के अंदर भी फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया गया है, जिनकी बार बार ट्रेनिंग के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाता है। पाँच-पाँच साल तक नौकरी स्थाई नहीं की जाती। इससे बेरोजगारी बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। हमारे दूसरे प्लांट में स्किल डेवलपमेंट के नाम पर अलग-अलग जगह से भर्ती होती है।

3- इस दौर में छंटनी व तालाबंदी बढ़ रही है। एक तरफ तो कंपनियां ट्रेनिंग के नाम भर्ती करती हैं वहीं दूसरी तरफ एक झटके में नौकरी से निकाल देती हैं। एक तरफ लोग नौकरी के लिए लाइन में लगे हैं वहीं दूसरी तरफ छँटनी हो रही है। जो ठेके पर हैं उनका स्थाईकरण होना था तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यहाँ इंडियन और जापानी जोन में टीएस टेक प्लांट में, गुड़गांव और मानेसर में कई कंपनियों में छँटनी हुई है और ताला लगा है जैसे ओमेक्स, एंड्डुरेंस, हीरो में। इससे बेरोजगारी बढ़ी है।

4- मज़दूरों के संगठित होने की कई समस्याएं हैं। आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग समझने को तैयार नहीं हैं। संगठित होने को तैयार नहीं हैं। जो नए मज़दूर बाहर से काम करने आते हैं उनको इस बेल्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता कि पूँजीपतियों का और सरकार का रवैया क्या है? कानून या श्रम कानून क्या है? किस चीज की लड़ाई है? इसलिए उनका जुड़ाव नहीं बन पा रहा है। पूँजीपतियों और सरकार के गठजोड़ का बहुत दबाव है मज़दूरों पर।

5- ठेका व स्थाई श्रमिकों को एक साथ संगठित करने की समस्या गहरी है। ठेका श्रमिकों का वेतन इतना कम है कि वे ज्यादा दिन तक एक जगह काम नहीं कर पाते। स्थाई और ठेका श्रमिकों की माँगें अलग अलग हैं, बहुत दूर तक साथ नहीं चल पाते हैं। ठेका श्रमिक को लगता है स्थाई श्रमिक अपने वेतन की लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि उनकी नौकरी सुरक्षित है।

6- अभी सरकार द्वारा एकतरफ तो श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधान किया गया वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में धारा 370 हटाकर सभी का ध्यान भटका दिया गया। सरकार मूल मुद्दे से मज़दूरों का और लोगों का ध्यान भटका रही है ताकि कोई आंदोलन खड़ा ना हो, कोई विरोध ना हो। ऐसे में हम मज़दूर भ्रमित हैं।

7- आज की स्थिति में संगठित होकर काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से श्रम कानूनों में संशोधन हुए हैं, उससे लगता है यूनियन का अधिकार ख़त्म होने वाला है। इसलिए सभी संगठनों और ट्रेड यूनियनों को एक साथ होकर लड़ना होगा। प्लांट स्तर की लड़ाई से काम नहीं चलने वाला है।

-दौलत राम,
महासचिव, डाईकिन एयर कंडीशनिंग मज़दूर यूनियन, निमराना, राजस्थान

चुनौतियाँ गम्भीर, संयुक्त रुप से आगे बढ़ने की जरूरत

1- वर्तमान में जिस तरह से श्रम कानूनों में बदलाव हो रहा है इससे आने वाले समय में स्थायी नौकरियाँ समाप्त हो जायेंगी, मज़दूर वर्ग को जो अधिकार मिले हैं वह सब समाप्त हो रहे हैं। वैसे पहले से श्रम विभाग, हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट पूँजीपतियों के पक्ष में खड़े हैं। श्रम कानूनों में बदलाव के कारण पूँजीपतियों को और खुली छूट मिल जायेगी। पढ़ा-लिखा जवान दिहाड़ी मज़दूर की तरह ही हो जायेगा। कुछ समय यहाँ काम करेगा और कुछ समय वहाँ काम करेगा। धीरे-धीरे यह भयंकर रोग की तरह हो जायेगा जो निम्न व मध्यम वर्ग के हर घर में मौजूद होगा।

2- फिक्सड टर्म व नीम ट्रेनी का अभी हमारे प्लांट में कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी उपरोक्त के अनुसार भर्ती नहीं हो रही है, लेकिन एक-दो बार प्रबन्धन वर्ग द्वारा कहा गया है कि कम्पनी के स्थायी आदेश में उपरोक्त दोनों प्रावधानों को लिखना है पर हमारे द्वारा मना कर दिया गया है।

3- इस दौर में छँटनी व तालाबन्दी बिल्कुल बढ़ रही है।

4- आज दौर में मज़दूरों को संगठित होने की कई चुनौतियाँ हैं। यह देखना ज़रूरी है कि बेरोजगारी, शिक्षा, सामाजिक दायरा कैसा है? मानसिक सोच कैसी है? और विचार कैसे हैं?

5- ठेका व स्थाई मज़दूरों को एक साथ संगठित करना कोई बड़ी समस्या नहीं थी लेकिन बड़ी समस्या बना दी गयी है। यह श्रमिकों की मानसिक सोच के कारण अलग-अलग हो गयी है। श्रमिकों के वर्गीकरण से श्रमिकों के मन में अलग-अलग प्रकार की भावना उत्पन्न हो रही है जिस कारण स्थाई श्रमिक व ठेका श्रमिक संगठित नहीं हो पा रहे हैं।

6- आज मज़दूरों की अपनी ज़िन्दगी से सम्बन्धित प्रभावित करने वाली बात तो श्रमिक अधिकारों पर बढ़ते हमले, छँटनी-तालाबन्दी आदि-आदि समस्याएं हैं, लेकिन आजकल इससे श्रमिकों को मतलब नहीं रह गया है। जिस पर समस्या आ रही है वही यह बात करता है परन्तु ज्यादातर मज़दूर वर्ग को राष्ट्रवाद, गोरक्षा, पाकिस्तान से ही मतलब है।

7- यूनियनों को आज के समय की चुनौतियों को हल करने के लिए यूनियनों को संयुक्त रुप से मिलकर गोष्ठियाँ करनी चाहिए, श्रमिक अधिकारों के लिए सचेत करना चाहिए, तर्कशील जवाब होने चाहिए, एक-दूसरे यूनियनों को आपस में सहयोग, समर्थन, भागीदारी व सम्पर्क कर वार्तायें करनी चाहिए, देश की वास्तविक राजनीति व हो रही गतिविधियों पर गहराई से विचार करना चाहिए। यह कार्य पूरी कार्यकारिणी को करना चाहिए न कि एक-दो प्रतिनिधियों को। और साथ-साथ आपसी विश्वास भी होना चाहिए, न कि मेरा संगठन, मेरा समूह, मेरा महासंघ, मेरी कम्पनी, मेरा क्षेत्र, मेरी जाति, मेरा धर्म होना चाहिए।

-गणेश मेहरा
अध्यक्ष, ब्रिटानिया श्रमिक संघ, पन्तनगर व महासचिव श्रमिक संयुक्त मोर्चा, ऊधमसिंहनगर

विकास का मतलब इन्सान नहीं गाय को बचाओ

भुखमरी और कुपोषण में पिछड़ते देश में 'पहली रोटी गाय को' अभियान

गजब है मोदी-योगी का भाजपाई राज! एक तरफ देश विश्व भुखमरी सूचकांक में 5 सालों में 55 अंक नीचे गिरकर 103वें स्थान पर पहुँच गया, 50 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, वहीं योगी सरकार उत्तर प्रदेश में गाय के चारे के कथित संकट का समाधान निकालने में मशगूल है। सरकार ने लोगों की रसोई से गाय के लिए रोटी-गुड जुटाने के अभियान में अधिकारियों को लगा दिया है। यानी विकास के केंद्र में इन्सान नहीं जानवर है।

योगी सरकार की प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की चिंता इन्सान नहीं, गाय है। उसने 'पहली रोटी गाय को' अभियान शुरू किया है। सरकार ने बाकायदा जिलाधिकारी सहित आला अधिकारियों की 'विशेष' ज़िम्मेदारी दे दी है। इसके लिए सरकार ने बजट भी आवंटित कर दिया है। इस परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मथुरा में घर-घर से गायों के लिए रोटी एकत्र करने के लिए वाहन का उद्घाटन किया था, तो लोनी में केन्द्रीय मंत्री वीके सिंह ने हरी झंडी दिखाई। फिर तो पूरे प्रदेश में यह सिलसिला चल पड़ा।

भुखमरी सूचकांक में भारत फिसड्डी

गाय को रोटी का इंतेज़ाम और विकास के तमाम दावों के बीच देश में भुखमरी की शर्मनाक रिपोर्ट सामने आई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भूख एक गंभीर समस्या है और 119 देशों के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 103वें पायदान पर है। इस सूची में भारत नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से भी पीछे है।

सन 2014 में 'अच्छे दिन' के शोर-शराबे के साथ सत्ता के शीर्ष पर पहुँचे मोदी सरकार के दौरान देश भुखमरी सूचकांक में लगातार नीचे गिरा है। यानी भुखमरी ज्यादा बढ़ी है। 2014 में भारत जहाँ 55वें पायदान पर था, तो वहीं 2015 में 80वें, 2016 में 97वें और पिछले साल 100वें पायदान पर पहुँच गया था। इस बार रैंटिंग 3 पायदान और गिर गई और भारत 103वें स्थान पर पहुँच गया।

यही नहीं, आयरलैंड की कन्सर्न वर्ल्डवाइड और जर्मनी की वेल्थुंगरहिल्फे ने भूख पर जो शोध किया है, उसकी ताजा रिपोर्ट में भारत को 30.3 अंक मिले, जो भुखमरी की गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

देश के 50 फीसदी बच्चे कुपोषित

हालत ये हैं कि देश के 6 साल से काम उम्र के बच्चों में से 50 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन (आईसीएमआर) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ न्यूट्रेशन की जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में देश में कम वजन वाले बच्चों के जन्म की दर 21.4 फीसदी रही। जबकि जिन बच्चों का विकास नहीं हो रहा है, उनकी संख्या 39.3 फीसदी, जल्दी थक जाने वाले बच्चों की संख्या 15.7 फीसदी, कम वजनी बच्चों की संख्या 32.7 फीसदी, अनीमिया पीड़ित बच्चों की संख्या 59.7 फीसदी और अपनी आयु से अधिक वजनी बच्चों की संख्या 11.5 फीसदी पाई गई थी। जबकि कुपोषण से होने वाली मौतें 68.2 फीसदी है।

भाजपा सरकारों का यही है विकास का माडल

तस्वीर साफ है, जिस देश में इन्सान भूख से मर रहे हों, बच्चे कुपोषित हों, वहाँ मोदी-योगी की भाजपा सरकारों की चिंता इन्सान नहीं, जानवर हैं! यही हैं भाजपाइयों के 'अच्छे दिन'!

इसलिए जोर से बोलो जय जय जय श्रीराम!

खुदकुशी की बढ़ती घटनाएं

मरते मज़दूर

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि साल 2016 में देशभर में रिकॉर्ड 25164 दिहाड़ी मजदूरों ने खुदकुशी की। यह 2014 से 60 फीसदी ज्यादा है, जब दिहाड़ी मजदूरों की खुदकुशी के कुल 15735 मामले दर्ज हुए थे।

2016 में किसानों के मुकाबले दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्या के दोगुने मामले सामने आए। 11379 किसानों की तुलना में 25164 दिहाड़ी मजदूरों ने खुदकुशी को मजबूर हुए।

मरते किसान

केंद्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने रिपोर्ट ने खुलासा किया कि साल 2016 में कुल 11,379 किसानों ने आत्महत्या की थी। इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने 948 या हर दिन 31 किसानों ने आत्महत्या की।

किसान आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। साल 2016 में इस राज्य में सर्वाधिक 3,661 किसानों ने आत्महत्या की। दूसरे स्थान पर स्थित कर्नाटक में 2016 में 2,079 किसानों ने आत्महत्या की।

नोटबन्दी के तीन साल!

नोटबंदी के बाद से अर्थव्यवस्था और ढही, बेरोजगारी व महँगाई तेजी से बढ़ी! यह बात भी साफ़ हो गई कि नोटबंदी की वजह से भ्रष्टाचार के मामले में भी कमी आने की जगह वह और तेजी से बढ़ रही है!

नोटबंदी के तीसरे साल पर अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने आर्थिक सुस्ती का हवाला देते हुए भारत की रेटिंग घटा दी और उसको स्थिर से नकारात्मक कर दिया। क्रिसिल ने कहा कि नोट बंदी की वजह से खपत में कमजोरी आई, रोजगार (जॉब लॉस) और आमदनी घटने जैसी घटना अंत में अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने लगी हैं।

मोदी मैजिक!

मंदी के बादल तेजी से काले और घने होते जा रहे हैं और इसका असर ऑटो, रियल एस्टेट, टेलिकॉम और बैंकिंग से लेकर स्टील और टेक्सटाइल जैसे सेक्टरों में तेजी से दिखने लगा है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 72 रुपये के आंकड़े को छू रही है। आयात के मुकाबले निर्यात में गिरावट से देश का राजकोषीय घाटा बढ़ा और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। जीएसटी कलेक्शन में 5.29 फ़ीसदी की गिरावट है...!

तो मोदी सरकार की 'मदद' हुई सर्वोच्च अदालत का फैसले आया! 'मंदी' में जुड़ा 'र' और बन गया...! मंदी गायब, मंदिर हाज़िर! यही तो है मोदी मैजिक!

मोदी सरकार ने भारतीय पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकोर, टेहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलमेट कार्पोरेशन और नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को बेचने की मंजूरी दे दी है। जय हो!

फिट इण्डिया मूवमेंट

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आकड़ों के मुताबिक आठ कोर उद्योगों (जिसमें कोयला, बिजली, सीमेंट, उर्वरक, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस जैसे अहम सेक्टर शामिल हैं) का संयुक्त सूचकांक सितंबर, 2019 में 120.6 अंक रहा, जो सितम्बर 2018 के मुकाबले 5.2 प्रतिशत कम है।

उत्तराखण्ड

लम्बे संघर्ष के बाद एडविक मज़दूरों की जीत

मेहनतकश प्रतिनिधि

पंतनगर। एडविक हाईटेक में डेढ़ साल के लम्बे संघर्ष के बाद 8 नवम्बर को मज़दूरों को जीत मिली है। सहायक श्रमायुक्त की मध्यस्तता में हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत बर्खास्त श्रमिक राजू विश्वास की कार्यबहाली, 5 साल के लिए 12,500 रुपये की वेतन बृद्धि के साथ यूनियन को मान्यता मिल गयी है। साथ ही वर्ष 2018 के लिए 11,500 रुपये एक मुस्त अलग से देने की भी सहमति बनी।

यूनियन बनने से तेज हुआ था उत्पीड़न

डेढ़ साल पूर्व एडविक कर्मचारी संगठन पंजीकृत होने के बाद से प्रबन्धन ने यूनियन सदस्यों की वार्षिक वेतन बृद्धि रोक दी थी और श्रमिक उत्पीड़न बढ़ाते हुए कार्यकारिणी सदस्य राजू विश्वास की ग़ैरकानूनी गेटबन्दी कर दी थी। तबसे मजदूरों का संघर्ष जारी रहा।

इस दौरान सहयक श्रमायुक्त की मध्यस्तता में दो बार हुए समझौतों से प्रबन्धन मुकर गया।

ऐसे में मज़दूरों ने 8 जुलाई से गेट पर धरना कार्यक्रम के साथ आन्दोलन को नई गति दी।

इसके बाद मज़दूरों का संघर्ष लगातार आगे बढ़ता रहा। इस बीच श्रम विभाग में कई दौर की वार्ताएं चलीं। प्रबन्धन मज़दूरों पर लगातार दबाव बनाता रहा। लेकिन मज़दूर डटे रहे। अन्ततः 8 नवम्बर को समझौता सम्पन्न हुआ।

जीत से मज़दूरों को मिला लाभ

एडविक कर्मचारी संगठन और एडविक प्रबंधन के बीच 5 वर्षीय वेतन समझौता 12500 सीटीसी में हुआ। समझौता 1 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2024 तक लागू होगा। प्रथम वर्ष में 40 फीसदी, द्वितीय वर्ष में 30 फीसदी व अन्य 3 वर्ष में 10-10 फीसदी की वेतन वृद्धि होगी।

बर्खास्त श्रमिक राजू विश्वास की कार्य बहाली 11 नवम्बर से पुनर्नियुक्ति पर हो गई, लेकिन समझौते का लाभ 6 माह बाद मिलेगा।

महिंद्रा प्रबन्धन ने यूनियन सदस्यों का काटा बोनस

रुद्रपुर। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड रुद्रपुर स्थित ट्रैक्टर प्लांट में प्रबंधन ने यूनियन से जुड़े मज़दूरों के बोनस/एक्सग्रेशिया में भारी कटौती कर दी है। जो मज़दूर महिन्द्रा कर्मकार यूनियन के सदस्य हैं, उन्हें केवल 20 फ़ीसदी बोनस के नाम पर दिया है और बाकी मजदूरों को 50 से 60 हजार रुपये तक का भुगतान किया है।

उत्पीडन के ख़िलाफ़ बनी थी यूनियन

कम्पनी में प्रबंधन की एक पॉकेट कमेटी रही है, जो शिव सेना की भारतीय कामगार सेना का हिस्सा बताई जाती है। लंबे समय से मज़दूर प्रबंधन और इस कथित कमेटी की धोखाधडी के शिकार होते रहे हैं। मज़दूरों के मनमाने वेतन समझौतों के साथ एरियर और बोनस में से प्रबंधन यूनियन के नाम से एक निश्चित राशि काट लेती रही है।

इन स्थितियों में मज़दूरों ने अपने आपको संगठित किया और ढाई साल पूर्व महिन्द्रा कर्मकार यूनियन पंजीकृत कराया। तबसे मज़दूरों का शोषण, उत्पीड़न व दमन जारी है।

यूनियन बनने के बाद दमन हुआ तेज

महिंद्रा प्रबंधन ने यूनियन तोड़ने के सभी प्रयास किए, लेकिन सारी स्थितियो को झेलकर मज़दूर नई टीम के साथ फिर से खड़े हो गए। इससे प्रबंधन में बौखलाहट और बढ़ गई।

वर्तमान में यूनियन अध्यक्ष वीरेंद्र पाल और पूर्व कोषाध्यक्ष अमित सक्सेना को प्रबंधन ने गैरकानूनी रूप से बर्खास्त कर रखा है, हालांकि औद्योगिक न्यायाधिकरण से इसका अनुमोदन नहीं मिला है। प्रबंधन द्वारा मज़दूरों को नोटिसों, घरेलू जाँच, विभाग बदलने आदि द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। लेकिन मज़दूर एकजुटता के साथ लगातार संघर्षरत है। उन्होंने यूनियन का झंडा भी मई दिवस के दिन लगा दिया।

प्रबंधन ने लगवाई नई यूनियन की फ़ाइल

दूसरी ओर प्रबंधन ने इस यूनियन को तोड़ने के लिए अपनी पॉकेट कमेटी की ओर से एक और यूनियन के पंजीकरण की फाइल लगवा दी, जिसपर महिंद्रा कर्मकार यूनियन ने आपत्ति लगाई। बौखलाए प्रबंधन की सह पर कथित कमेटी और पुणे से आए शिव सैनिकों द्वारा श्रम अधिकारियों के सामने ही यूनियन नेताओं पर हमले किये। जिसकी पुलिस में शिकायत गई। फिलहाल उक्त फाइल अभी फंस गई है।

बोनस पर प्रबन्धन का नया दांव

अभी बोनस के समय में प्रबंधन ने एक नया गेम खेला। उसने एक पत्र जारी करके कथित मंदी के बहाने मनमाने कामबंदी (ब्लॉक क्लोजर) के लिये साल भर में 12 छुट्टियों का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहा, जिसमें से छह कंपनी की और छह छुट्टियां मज़दूरों की होंगी। उसने शर्त रखी कि जो इस सेवाशर्त पर हस्ताक्षर करेगा उसे ही पूरा बोनस मिलेगा।

यूनियन ने इसका विरोध किया। प्रबंधन ने अलग-अलग मज़दूरों को डराने-धमकाने, क्षेत्रवाद आदि के द्वारा दबाव बनाने का लगातार प्रयास किया। लेकिन मज़दूरों की बहुसंख्या इस दबाव में नहीं आई। प्रबंधन ने अपनी कथित पॉकेट कमेटी और उसके दबाव में आकर उक्त पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले मज़दूरों को 50 से 60 हजार रुपये तक बोनस/एक्सग्रेसिया दिया। जबकि मज़दूरों की भारी आबादी को उसने महज औसतन 24000 रुपए का ही भुगतान किया। इस आर्थिक क्षति के बावजूद मज़दूर एकजुट है और लगातार संघर्ष कर रहे हैं।

श्रम विभाग ने जारी किया नोटिस

यूनियन की शिकायत पर श्रम विभाग ने भी प्रबंधन को नोटिस जारी किया है, क्योंकि संराधन कार्यवाही के दौरान सेवा शर्तों को बदलना या दबाव बनाना कानूनन गलत है। यूनियन ने मज़दूरों को बोनस/एक्सग्रेशिया के भुगतान में भिन्नता के लिए अनुचित श्रम व्यवहार का मुद्दा भी उठा रखा है।

इन हालात में महिंद्रा कर्मकार यूनियन के बैनर तले मज़दूरों की बड़ी आबादी संगठित है और दमन सह कर भी उनका संघर्ष जारी है।

उत्तराखण्ड

11 माह से संघर्षरत हैं मज़दूर

पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित भगवती प्रौडक्टस (माइक्रोमैक्स) के गैरकानूनी छँटनी का दंश झेल रहे 303 संघर्षरत श्रमिकों का आन्दोलन विगत 11 महीने से जारी है।

विकट दौर का संघर्ष

माइक्रोमैक्स मज़दूरों का यह संघर्ष एक ऐसे दौर में चल रहा है जब पूरे देश में श्रम कानूनी अधिकारों को मजदूरों से छीनने लिए मोदी सरकार पूरी तरह से आक्रामक है। उसी के अनुरूप स्थानीय शासन, प्रशासन, श्रम विभाग, सभी मजदूरों के दमन पर खुलेआम उतारू है। और मजदूरों पर फर्जी मुकदमे लगाये हैं।

दरअसल 27 दिसंबर 2018 को माइक्रोमैक्स प्रबंधन ने गैरकानूनी रूप से 303 श्रमिकों की छँटनी कर दी थी। शेष श्रमिकों में से यूनियन अध्यक्ष का गेट बंद रखा और बाद में निलंबित कर दिया। अन्य श्रमिकों को गैरकानूनी लेऑफ से बाहर बैठा रखा है। ऐसे में पिछले 11 महीने से मज़दूरों का कंपनी गेट पर लगातार धरना व क्रमिक अनशन जारी है। जमीनी स्तर पर आंदोलन के साथ कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट से इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल तक चल रहा है।

मज़दूरों ने दिवाली के अवसर पर कम्पनी गेट पर काले रंग से रंगकर दिया जलाकर बताया कि मूनाफाखोर मालिक ने उन्हें बेरोजगार करके उनकी दिवाली काली कर दी है।

हॉई कोर्ट ने ट्रिब्युनल को दिया निर्देश

इस बीच नैनीताल उच्च न्यायालय ने श्रमिक पक्ष के रिट पर औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी को निर्देश दिया कि पूरे मामले को 6 हफ्ते के भीतर निस्तारित करे। साथ ही यह मामला उच्च न्यायालय की निगरानी में भी रहेगा।

दूसरी ओर औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी ने श्रमिकों की ओर से अंतरिम अनुतोष के तौर पर गुजारे भत्ते के आवेदन को निरस्त कर दिया।

ज्ञात हो कि पीड़ित श्रमिक को अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अनुतोष सहायता राशि व गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है। लेकिन आज के दौर में जहाँ एक के बाद एक कानूनी अधिकार छीने जा रहे हैं, वहाँ मज़दूरों को कोई कानूनी राहत मिलेगी, वह भी जिससे मालिकों की पॉकेट पर प्रभाव पड़ेगा, संभव नहीं है।

11 महीने से संघर्ष जारी है

इन सबके बावजूद भयानक गर्मी, विकट बारिश व ठंड सब कुछ झेलते हुए मज़दूर कम्पनी गेट पर पिछले 11 महीने से धरना चला रहे हैं। मज़दूरों की एक छोटी सी ताक़त ही लगातार सक्रिय है। जिससे लगातार बड़ा क़दम उठाने में दिक्क़तें आती रही हैं। फिर भी वे अपने आन्दोलन में डटे हैं और संघर्षरत हैं।

गैरकानूनी कामबंदी के शिकार हैं वोल्टास के मज़दूर

पंतनगर। वोल्टास लिमिटेड के 8 मज़दूर पिछले 25 सितंबर से गैरकानूनी कामबंदी के शिकार बने हैं, जिसमें यूनियन के अध्यक्ष, महामंत्री व संगठन मंत्री भी शामिल हैं। प्रबंधन ने मज़दूरों का पूरा वेतन भी काट दिया। लेकिन श्रम विभाग प्रबन्धन की भाषा बोल रहा है।

दरअसल वोल्टास इम्पलाइज यूनियन ने नए वेतन समझौते के लिए 9 दिसंबर 2017 को माँग पत्र दिया था। प्रबंधन तब से लगातार मज़दूरों का दमन और शोषण कर रहा है। इस दौरान प्रबंधन मज़दूरों की कई तरह से सुविधाओं और वेतन में कटौतियाँ की। यूनियन ने स्थायीकरण की माँग उठाई थी तो प्रबंधन ने ठेका मज़दूरों को बाहर कर दिया। एक स्थाई मज़दूर को गैरकानूनी रूप से निलंबित किया। उसने पूरे मामले को उलझाये रखा, जबकि श्रम विभाग इस पर मूकदर्शक बना रहा, माँग पत्र को श्रम न्यायालय में संदर्भित कर दिया।

यूनियन ने औद्योगिक विवाद कायम रहते वेतन और सुविधाओं में कटौती व प्रबन्धन के

अन्य कृत्यों के खिलाफ जब लगातार आवाज़ बुलंद की तो श्रम विभाग में इस पर सुनवाई की औपचारिकता शुरू की। बौखलाये प्रबन्धन ने 8 श्रमिकों का गेट बंद कर दिया और इस दौर का पूरा वेतन काट लिया। जबकि श्रम विभाग इस मामले में भी लीपापोती करता रहा।

यूनियन ने बताया कि प्रबंधन ने जो गेट बंदी की है वह श्रम अधिकारियों द्वारा दिये गए सलाह के आधार पर है।

यूनियन ने एएलसी व डीएलसी के सामने जब तमाम तथ्य रखे तो श्रम अधिकारियों ने बताया कि प्रबंधन ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत ले-ऑफ ले लिया है। यूनियन ने यह तर्क रखा कि कंपनी का स्थाई प्रमाणिक आदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत है। तो फंसे प्रबन्धन को श्रम अधिकारी बचाने लगे।

ऐसे कठिन हालात में मजदूरों का संघर्ष जारी है। सारे कानूनी दाँव-पेंच के बीच मज़दूरों का दमन जारी है और मज़दूर कंपनी गेट पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं।

बजाज मोटर्स में यूनियन पंजीकृत

पंतनगर। टाटा मोटर्स की वेंडर कंपनी बजाज मोटर्स में यूनियन बनाने की पहल लेते ही मज़दूरों का दमन तेज हो गया था। पदाधिकारियो के निलंबन व बर्खास्तगी के साथ प्रबंधन ने श्रम अधिकारियों से मिलीभगत करके यूनियन फाईल ख़ारिज करावा दी थी। मज़दूरों का संघर्ष जारी रहा और अंततः उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश के बाद यूनियन पंजीकृत हो गई।

उत्तराखण्ड

सुप्रीम कोर्ट से एलजीबी यूनियन अध्यक्ष की जीत

रुद्रपुर। एलजीबी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह की कार्यबहाली के आदेश के ख़िलाफ एलजीबी प्रबन्धन द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर एसएलपी ख़ारिज हो गयी। इस महत्वपूर्ण जीत से मजदूरों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई।

यूनियन बनाया तो किया बर्खास्त

सन 2012 में एलजी बालाकृष्नन एण्ड ब्रास लिमिटेड, में एलजीबी वर्कर्स यूनियन के तत्कालीन महामंत्री व वर्तमान अध्यक्ष विरेंद्र सिंह को प्रबन्धन ने ग़ैरक़ानूनी रूप से बर्खास्त कर दिया था। मज़दूरों ने एकता के साथ कंपनी के भीतर और श्रम न्यायालय में संघर्ष जारी रखा।

श्रम न्यायालय ने बर्ख़ास्तगी को अनुचित श्रम व्यवहार ठहराया था

सन 2015 में श्रम न्यायालय, काशीपुर ने इसे अनुचित श्रम अभ्यास बताते हुए बर्ख़ास्तगी को गलत ठहराया था। तब प्रबन्धन ने दलील दी थी कि विरेन्द्र ट्रेनी था जिसे समाप्त कर दी गई। लेकिन कोर्ट ने श्रमिक पक्ष की इस दलील को माना था कि एक साल की ट्रेनिंग समाप्त करके वह 7 माह से स्थाई कर्मकार के रूप में कार्य कर रहा था, स्थाई की सभी सुविधाएं भी मिल रही थीं, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला था और यूनियन बनाने के कारण निकाला गया है।

उच्च न्यायालय ने भी आदेश रखा बरकरार

श्रम न्यायालय से मिली जीत के बावजूद काफी संघर्ष के पश्चात प्रबंधन 2015 में उनकी कार्यबहाली करने को बाध्य हुआ था, लेकिन उसने उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दे दी थी। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता योगेश पचौलिया की शानदार पैरवी के बाद न्यायालय ने प्रबन्धन की दलीलें खारिज़ कर दी थीं और श्रम न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

सर्वोच्च अदालत से भी पराजित

प्रबन्धन ने उच्च न्यायालय के आदेश के ख़िलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। 25 अक्टूबर को हुई सुनवाई में श्रमिक पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश त्यागी ने जबर्दस्त पैरवी की और मजदूरों को जीत हासिल हुई।

प्रबन्धन विरेन्द्र को स्टाफ में आने और बेहतर वेतन की पेशकश करता रहा

2015 में हुई कार्यबहाली के बाद से ही प्रबन्धन द्वारा विरेन्द्र का उत्तपीड़न जारी रहा। कम्पनी उसको ट्रेनी बताकर बेहद कम वेतन, अवकाश व बोनस देता रहा है।

प्रबंधन बार-बार विरेन्द्र को स्टाफ में आने और बेहतर वेतन देने की पेशकश भी करता रहा, जिसे वह ठुकराता रहा और संघर्ष जारी रखा। अभी भी उसे अन्य श्रमिकों के समान वेतन, बोनस, अवकाश व अन्य सुविधां नहीं मिल रही हैं। लेकिन विरेन्द्र सिंह इन सभी उत्तपीड़नों को सहते हुए लगातार संघर्षरत है और पूरी यूनियन इसमें साथ खड़ी है। जिससे बौखलए प्रबन्धन ने कम्पनी के अन्य मज़दूरों का दमन भी तेज कर दिया है।

प्रबन्धन ने यूनियन नेताओं का किया गेट बन्द

एलजीबी यूनियन अध्यक्ष की गैरकानूनी बर्खास्तगी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से हार जाने के बाद से एलजीबी प्रबंधन की बौखलाहट बढ़ गई है और वह तरह तरह से मज़दूरों का दमन बढ़ा रहा है। उसने यूनियन के कोषाध्यक्ष ललित बोरा व संगठन मंत्री गोविंद सिंह की 11 नवंबर से गैरकानूनी गेटबंदी कर दी है। इसपर श्रम विभाग की भूमिका से भी मज़दूरों में नाराजगी है।

एलजीबी वर्कर्स यूनियन के माँग पत्र पर जनवरी 2017 से औद्योगिक विवाद चल रहा है, जोकि श्रम न्यायालय में लंबित है। अन्य कई मुद्दे भी विवादित हैं, जिनमें वीरेंद्र सिंह को स्थाईकरण का पत्र देने सहित वेतन व सुविधाओं को देने का भी मामला है।

प्रबंधन यूनियन के कई पदाधिकारियों सहित दर्जनों श्रमिकों को झूठे आरोपों में कथित घरेलू जाँच के बहाने उत्पीड़ित करता रहा। प्रबंधन जिले के रुद्रपुर प्लांट में कार्यरत श्रमिकों, जिनमें यूनियन के पदाधिकारी भी शामिल हैं, को भी तरह-तरह से परेशान कर रहा है। इस प्लांट के मज़दूरों को यूनियन से अलग होने का भी वह दबाव बनाता रहा है, लेकिन मज़दूर एकजुट हैं।

ज्ञात हो कि यूनियन बनने के समय एलजीबी में स्थाई व ठेका मज़दूरों की शानदार एकता थी, लेकिन सन 2012 के संघर्ष की पराजय के बाद जहाँ स्थाई मज़दूर दमन के शिकार हुए थे, वहीं ठेका मज़दूरों की भी नौकरी चली गई थी। इसलिए ताक़त कमजोर हो गई।

अभी पंतनगर और रुद्रपुर दोनों प्लांट मिलाकर केवल 45 स्थाई मज़दूर कार्यरत हैं। ऐसे में मज़दूरों का संघर्ष चुनौतीपूर्ण है लेकिन मज़दूर इस ताकत में ही पिछले 7 वर्षों से संघर्षरत हैं।

महिंद्रा सीआईई में हुआ वेतन समझौता

रुद्रपुर। महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव लिमिटेड की लालपुर इकाई में महिंद्रा सीआईई श्रमिक संगठन और प्रबंधन के बीच वेतन समझौता संपन्न हुआ। समझौता 9 हजार रुपए सीटीसी में 2019 से 2023 तक पाँच साल के लिए है। समझौता 1 जनवरी 2019 से लागू होगा और 9 माह के एरियर का भुगतान दो किस्तो में होगा।

पहले साल, 3500 रुपए, दूसरे साल 2000 रुपए, तीसरे साल 1500 रुपए और अंतिम 2 साल 1000-1000 रुपए की वेतन बृद्धि होगी। 60 फीसदी बेसिक में समायोजित होगा। श्रमिकों को 4.9 एसपीएम की जगह 5.1 एसपीएम उत्पादन देना होगा। ईएसआई के दायरे से बाहर निकलने वाले श्रमिकों को उसकी सभी सुविधाएं कंपनी द्वारा दी जाएंगी। अर्ध कुशल श्रमिकों की कुशल श्रमिक की श्रेणी में पदोन्नति होगी।

अगले वर्ष कम्पनी के पंतनगर प्लांट में समझौता होना बाकी है। क्योंकि दोनों प्लांट में एक ही यूनियन है इसलिए उस समझौते को भी इसी यूनियन को संपन्न करना है।

समझौता था चुनौतीपूर्ण

वर्ष 2017 में पंतनगर प्लांट के माँगपत्र और उस विवाद के दौरान 10 श्रमिकों के निलंबन पर एक बड़ा और जुझारू आंदोलन हुआ था, जिसमें यूनियन अध्यक्ष संजीत विश्वास, हेम चंद, कमलेश मर्तोलिया व नवनीत बर्खास्त हैं।

मजदूरों का मनोबल इस आंदोलन के बाद से ही नीचे रहा है। ऐसे में यूनियन के लिए यह समझौता करना एक चुनौती भी थी। हालांकि पंतनगर प्लांट का समझौता उससे बड़ी चुनौती होगी, जिसे यूनियन को ध्यान में रखना होगा।

बिजली बिलों की धांधली के खिलाफ आन्दोलन

मेहनतकश प्रतिनिधि

हनुमानगढ़ (राजस्थान)। बिजली बिलों में हो रही धांधली व आम जनता के साथ की जा रही लूट के खिलाफ 14 नवम्बर को 'बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति' के बैनर तले हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ा प्रदर्शन हुआ और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। संघर्ष समिति ने ऐलान किया की जब तक माँगें नहीं मानी जाती तब तक संघर्ष जारी रहेगा।

4 सितम्बर से आन्दोलन जारी

बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले इलाके की मेहनतकश जनता ने बिजली की लूट के खिलाफ एसडीएम कार्यालय भादरा के सामने 4 सितम्बर से 57 दिनों तक धरना और 38 दिनों तक क्रमिक भूख हड़ताल हुई। संघर्ष समिति ने गांव-गांव घर-घर हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसमें नोहर भादरा तहसील के क़रीब 100 गांवों व कस्बे की मेहनतकश जनता ने हिस्सा लिया। 4500 से ज्यादा व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

'जागो जनता यात्रा'

आम जनता तक सरकार की दोगली नीति तथा बिजली कंपनियों धोखाधड़ी उजागर करने के लिए संघर्ष समिति ने 'जागो जनता यात्रा' निकली। 30 अक्टूबर से एसडीएम कार्यालय भादरा से ऊँट वाहन से शुरू यात्रा गाँव-गाँव घूम कर भादरा, नोहर, रावतसर व टिब्बी सँगरिया, पीलीबंगा तहसील कार्यालयों में ज्ञापन देते हुए जिला कलेक्ट्रेट हनुमागढ़ पहुँची। जगह-जगह ग्रामीणों ने यात्रा दल का स्वागत किया।

जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन

14 नवम्बर को हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ा प्रदर्शन हुआ और सभा आयोजित हुई।

इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बिजली बिलों में बहुत धांधली हो रही है। दिन-प्रतिदिन बिलों में भारी बढ़ोत्तरी हो रही है। विभाग ने बिलों के साथ सिक्योरिटी राशि के बहाने जनता की पीठ पर हजारों रुपए का बोझ लाद दिया है। स्थायी सेवा शुल्क के बहाने हर बार 400 रुपये या ज्यादा की वसूली होती है। लगातार घोटाले हो रहे हैं। बिजली उत्पादन के लिए कोयले का टेंडर सरकारी खदान संस्थान के बदले आडानी की प्राइवेट कंपनी को देने से 2007 से अबतक लगभग 7200 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो जनता पर थोपा जा रहा है।

बिजली बिलों को जला कर बिलों का विरोध

लगातार संघर्ष के बावजूद सरकार की अनदेखी से ग्रामीणों ने बिजली बिलों को जलाकर बिलों का बहिष्कार किया। रामगढ़ गांव में एक आम सभा का आयोजन हुआ जिसमें कई गांव के बिजली उपभोक्ता इकट्ठा होकर आंदोलन को तेज करने की रणनीति पर विचार किया।

संघर्ष समिति की माँगें

संघर्ष समिति की माँग है कि सिक्योरिटी राशि की नोटिस तुरंत निरस्त हो; स्थाई सेवा शुल्क के बहाने वसूली तत्काल बंद हो; बिलों में भारी अनियमितताओं को तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए, खराब और तेज चलने वाले मीटरों को बदला जाए, घटिया मीटर बनाने वाली कंपनियों का टेंडर निरस्त हो, पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए उपभोक्ता प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली विशेष कमिटी का गठन हो; दिल्ली के अनुरूप राजस्थान में प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाए; बिजली विभाग और प्राइवेट कंपनियों की तानाशाही, लूट और घोटालों पर तुरंत रोक लगायी जाये; बिजली विभाग का निजीकरण बंद किया जाए व बिजली विभाग और प्राइवेट कंपनियों की तानाशाही लूट और घोटालों पर तुरंत रोक लगाई जाए।

तेलंगाना रोडवेज कर्मियों का आन्दोलन जारी

तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन के 48 हजार से ज्यादा कर्मचारी करीब डेढ़ माह से आंदोलन पर हैं। उनकी माँग नियमितीकरण करने और सम्मानजनक वेतन की है, जबकि सरकार आंदोलन के खिलाफ है।

सरकार ने दमन का सहारा लिया और कई कर्मचारी नेताओं को जेल में बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री ने एक झटके में 48,660 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। अभी तक मुख्यमंत्री ने कर्मचारी यूनियन से बातचीत की कोई पहल नहीं की है। लेकिन विधायकों का वेतन 80 हजार से बढ़ा कर 2.5 लाख रुपये कर दिया है।

इंडियन फ़ेडरेशन ऑफ़ ट्रेड यूनियन्स (इफ़्टू) के अध्यक्ष एस वेंकटेश्वरा राव ने बताया कि

कर्मचारी चंद्रशेखर राव की सरकार से नई बसें ख़रीदने की माँग कर रहे हैं। सरकार ने कर्ज में दबे टीएसआरटीसी को ख़त्म करने के लिए निजी बसें संचालित करने का फैसला किया है।

विभिन्न ट्रेड यूनियनों ज्वाइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) ने हड़ताल का नोटिस दिया था। सरकार ने कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए मज़बूर किया है। कर्मचारियों की माँग है कि खाली पदों को भरा जाए और साल 2017 से लंबित पीआरसी को लागू किया जाए। राव ने कहा कि कर्मचारी आरटीसी और अपने परिवारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके संघर्ष को इफ़्टू और मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान मासा का समर्थन है।

बैंक कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति

सोमनाथ

आज पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में है। पूँजीवाद ने एक ऐसे अंतर्विरोध को जन्म दिया जिसका इलाज अब समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अति उत्पादन के कारण विश्व मंदी की मार झेल रहे भारत के बैंक भी इस मंदी से अछूते नहीं हैं।

आज बैंकों में कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसका कारण विभिन्न बैंकों के बीच बढ़ती प्रतियोगिता और लाभ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की होड़ है। अब बैंकों के विलय के बाद कर्मचारियों पर काम का बोझ और भी बढ़ गया है। अभी सरकार को बाकी पीएसयू बैंक का विलय भी करना है।

बैंकों के विलय से बैंक प्रबंधन को कम कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक ही जगह पर यदि उन दो बैंकों की शाखाएं हैं जिनका विलय हुआ है तो उनमें से एक को बंद करके दूसरे में विलय कर दिया जाता है। इससे ग्राहकों की संख्या तो कम नहीं होगी पर स्टाफ कम होने की वजह से बैंकों में भीड़ बढ़ेगी।

बैंक में से रिटायर होने वाले कर्मचारियों का स्थान लेने के लिए उचित भर्ती भी नहीं की जा रही है। बैंकों के विलय से बैंक भर्ती में और भी कमी आएगी। बैंक ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लगातार तकनीकी विस्तार के चलते नए उपाय खोज रहा है जिसकी मार बैंक कर्मचारी झेल रहे हैं। बैंक प्रबंधन की ओर से हर रोज किसी न किसी टारगेट को पूरा करने का फरमान जारी कर दिया जाता है जिस दबाव के चलते कितने ही बैंक कर्मचारी अभी तक आत्महत्या भी कर चुके हैं।

बीमा कंपनियों के साथ समझौते के चलते हर बैंक में आज जीवन बीमा या अन्य प्रकार की बीमा सुविधाएं बेची जाती हैं। बैंक प्रबंधन मुनाफे के लालच में हर रोज प्रति शाखा टारगेट देता है जिसे पूरा न करने पर दूर ट्रांसफर करने की धमकियां तक दी जाती हैं। हालांकि अब भी कितने ही कर्मचारी घर से कोसों दूर कार्यरत हैं। बीमा बेचकर व इस या उस नाम पर ग्राहकों के खाते से चार्जेज लगाकर एसबीआई ने इस तिमाही 3000 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाया है।

दूसरी ओर बैंक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि जो कि नवंबर 2017 में होनी थी अभी तक नहीं हुई है। एआईबीए और बैंक यूनियनों की सांठगांठ के चलते बैंक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में हर बार देरी की जाती है। वैसे तो ऊपरी तौर पर बैंक यूनियन निजीकरण आदि का विरोध कर रही हैं परंतु दूसरी ओर हड़ताल करने से पीछे हटती हैं। बैंक कर्मचारी लगातार अपनी यूनियनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल की माँग कर रहे हैं परंतु बैंक यूनियन बैंक प्रबंधन से सांठगांठ के चलते हड़ताल की घोषणा नहीं करती हैं। इससे पता चलता है कि बैंक यूनियनों में किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है।

आज जरूरत है कि बैंक कर्मचारी एक संघर्षशील और ईमानदार बैंक यूनियन का निर्माण करें और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं।

(सचिव, जन संघर्ष मंच, हरियाणा)

मज़दूर की कलम से

कोई कुछ नहीं पूछता

शहर से गाँव की ओर
एक दिन जाता है फोन
कि मदन नहीं रहा
अपनी उम्र पूरी कर ली है उसने
और दाना-पानी पूरा हो गया है उसके नाम का
फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ इस जमाने से
कि किसने खाया उसके नाम का हिस्सा
प्रकृति के संसाधनों पर उसका भी उतना ही था
जितना दूसरे के नाम पर है।
सुनते ही दौड़ आते हैं घर से कुछ जिम्मेदार लोग
और ले जाते हैं उसकी लाश पैतृक शमशान की ओर

कोई नहीं पूछता कि
किस फैक्टरी में काम करता था?
ठेकेदार कौन था?
क्यों नहीं मिला इलाज इस विकसित शहर में
जिसके नाम का ढिंढोरा पीटा जाता है गांव में
और जिन सुविधाओं के लिए लोग
गांव से शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं
आखिर शहरों में भी बुनियादी इलाज क्यों नहीं?
शहरों की ज़िंदगी गांवों से बदतर है क्या?

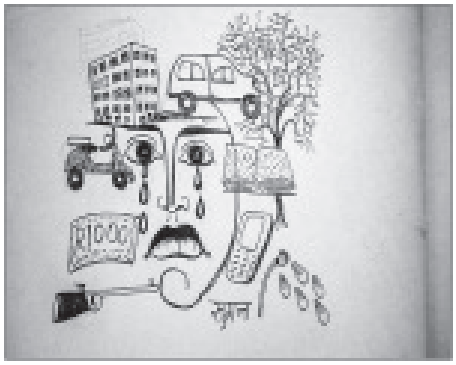

कोई नहीं पूछता कि
जिसके लिए पिछले सात सालों से काम कर रहा था
क्या वो भी जिम्मेदार है इसकी मौत के पीछे?
क्या वो इतना लावारिस सा था कि
एक दिन में ही तबीयत बिगड़ने पर
तीन-तीन अस्पतालों ने रेफ़र कर दिया
और चौथे अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ दिया?

कोई नहीं जानता कि
उसके 8×10 के कमरे में कितना जरूरत भर का सामान था?
एक डिब्बे में कुछ काला चना
थोड़ी सी अरहर और मसूर के सिवा कुछ और भी था कि नहीं?
उस एक किनारे रखी पेट्रोमैक्स में
इतनी गैस बची होगी कि मज़दूरी मिलने तक चल जाए?
उसके नाम का कोई इंश्योरेंस
और कोई पी.एफ. खाता है कि नहीं?

कोई कुछ भी नहीं पूछता
बस कुछ लोग चंदा करके उठवा देते हैं उसको
सब अपना फर्ज जैसा समझकर
कर देते हैं उसका अंतिम संस्कार
और लौट जाते हैं अपने-अपने घर

कोई कुछ नहीं पूछता
कोई कुछ नहीं बोलता
कोई कुछ नहीं जानता
कोई कुछ नहीं सोचता
और फिर अपने जवान बच्चों को
भेज देते हैं इन शहरों की ओर
फैक्टरियों में मज़दूरी करने

महेन्द्र 'आज़ाद'
नेस्ले इण्डिया लि., पंतनगर

चिले में चल रहा जन विद्रोह

दक्षिण अमेरिकी देश चिले में बढ़ती महँगाई के खिलाफ छात्रों की पहल में उभरा आंदोलन, आज देश के शासकों पर भारी दबाव का ज़रिया बन गया है। देश के प्रमुख परिवहन प्रणालियों में से एक, मेट्रो के किराया में वृद्धि जन आक्रोश की शुरुआती चिंगारी बनी।

प्रारंभिक दौर में छोटे छोटे विरोध प्रदर्शनों से बढ़ते हुए, अक्टूबर महीने से राजधानी संटियागो और अन्य महत्वपूर्ण शहरों के कई हिस्सों में बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 25 अक्टूबर को 10 करोड़ लोगों ने संटियागो का चक्का जाम करके नया इतिहास लिखा। आंदोलन की माँगें छात्रों द्वारा मेट्रो किराए देने से इंकार करने से शुरू हो कर, महँगाई, भ्रष्टाचार, तानाशाही व संविधान के बहिष्कार तक बढ़ती गई है।

प्रदर्शन में उठ रहे विभिन्न मुद्दों के साथ साथ यह आंदोलन मूलत: जनता द्वारा शोषण व असमानतापूर्ण शोषण प्रणाली के ख़िलाफ़ असंतोष एक संकेत है। जिसको पढ़ते हुए पिनोचे सरकार ने विभिन्न घोषणाएं की हैं। मेट्रो भाड़े में वृद्धि वापस ली जा चुकी है, साथ ही काम के घंटे कम करने, विधायकों की तनख्वाह में कटौती, कई विधायकों को कुर्सियों से हटाने व संविधान को बदलने तक का प्रस्ताव सरकार द्वारा रखा जा चुका है। प्रदर्शनों में अब तक 2000 से ज़्यादा घायल और 7000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। किंतु जन सैलाब थमने की जगह और उग्र होता नज़र आ रहा है।

नीदरलैंड में शिक्षकों की शानदार हड़ताल

मज़दूर और किसान भी हड़ताल के समर्थन में

हेग। नीदरलैंड में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने एक दिन की हड़ताल कर दी, जिसके चलते देश भर में 4,000 से ज्यादा स्कूल बंद रहे। ये हड़ताल ऐसे समय में हुई, जब सरकार की उत्सजर्न नीतियों से नाखुश किसानों और निर्माण श्रमिकों ने भी हाल के हफ्तों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था।

दरअसल प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे की सरकार ने स्कूलों और यूनियनों के साथ समझौता किया था, जिसमें सरकार शिक्षकों की कमी दूर करने, कामकाज के हालात ठीक करने और वेतन में वृद्धि करने समेत कई चीजों के लिए शिक्षा क्षेत्र में अतिरिक्त 46 करोड़ यूरो निवेश करने पर सहमत हुई थी। एक दिवसीय हड़ताल का मकसद सरकार को उसकी नीतियों के खिलाफ चेतावनी देना व देश में गिरती अर्थव्यस्था के प्रति सचेत करना था।

40 दिनी हड़ताल के बाद जनरल मोटर्स में समझौता

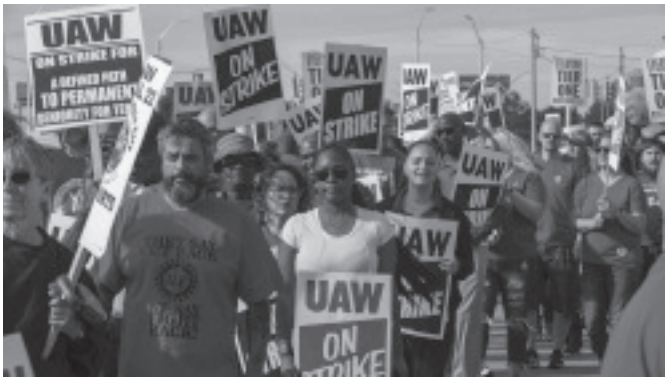

ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनी, जनरल मोटर्स (जीएम) की 40 दिन चली हड़ताल 25 अक्टूबर को समझौते के साथ समाप्त हो गई। यह जीएम में 1970 के बाद सबसे बड़ी हड़ताल थी।

कंपनी को अपने मुनाफे पर एक बड़ा झटका खाने के बाद समझौते की मेज पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। खुद कंपनी के अनुसार 49,000 श्रमिकों के हड़ताल पर चले जाने के कारण, उसे लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। उसके शेयर की कीमतें गिर गईं जिसने जीएम के प्रबंधन को हड़ताल का नेतृत्व कर रही यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स (यूएडब्लू) के साथ समझौता वार्ता फिर से शुरू करने के लिए मजबूर किया।

इस दौरान समझौते के लिए हुए मतदान में 57.2 फीसदी श्रमिकों ने पक्ष में मत दिये थे।

समझौते के तहत इस साल 3 फीसदी वेतन बृद्धि होगी, जबकि अगले वर्षों में 4 फीसदी एकमुस्त भुगतान होगा।। बोनस स्थाई मज़दूरों को 11000 डॉलर व अस्थाई मज़दूरों को 4500 डॉलर मिलेगा। साथ ही जीएम के मुनाफे में हिस्सेदारी प्रति बिलियन डॉलर पर 1000 मिलेगा। अस्थाई श्रमिकों को 2 से तीन सालों में स्थाई किया जाएगा।

4 बन्द कारखानों में एक डेट्रोइट-हैमट्रैक खुलेगा, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रक व वैन बनेगा। जीएम टैनेसी व मिशिगन में भी निवेश करेगा।

ज्ञात हो कि 16 सितम्बर से हड़ताल पर गये जीएम के अमेरिका स्थित प्लांटों के श्रमिक रोजगार सुरक्षा और बंदी या प्रस्तावित बन्दी समाप्त कर पुन: खोलने की माँग के साथ ही मेडिकल और अन्य सुविधाओं का स्थाई व अस्थाई दोनों तरह के श्रमिकों के लिए विस्तार करने और गिरते हुए वेतन की समस्या को हल करने की माँग कर रहे थे। हड़ताल की एक मुख्य वजह प्रबन्धन द्वारा अस्थाई मजदूरों को लम्बी अवधि तक बिना किसी औपचारिकता के काम पर रखने की बढ़ती प्रवृत्ति थी। इनको अनुबंध पर रखा जाता था, जिन्हें स्थाई श्रमिकों के समान सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। इकाइयों की तालाबंदी भी एक प्रमुख समस्या थी। नवम्बर 2018 में जनरल मोटर्स ने अमेरिका के अपने 4 उत्पादन संयंत्रों में तालाबंदी की घोषणा की, जिससे करीब 9,000 लोगों की नौकरियाँ चली गईं। कम्पनी ने कुछ समय के अन्तराल में अपने 15 फीसदी वेतनभोगी श्रमिकों को निकालने की भी घोषणा की थी।

कर्मचारी यूनियन की ओर से प्रमुख वार्ताकार यूएडब्लू के उपाध्यक्ष टेरी डीट्टेस ने 8 अक्टूबर के अपने सार्वजनिक बयान में कहा था कि जब हमारे यहाँ अमेरिका में बिक्री हेतु अन्य देशों में जीएम उत्पाद बनाए जा रहे हैं तो अब हमारी नौकरी की कोई गारंटी नहीं बची है।

मज़दूर वर्ग का प्रेरणादायी इतिहास %

महान अक्टूबर क्रान्ति

मज़दूर वर्ग की महान रूस की क्रान्ति 25 अक्टूबर (नये कैलेण्डर से 7 नवम्बर) 1917 को सम्पन्न हुई थी, जो 'अक्टूबर क्रान्ति' या 'बोल्शेविक क्रान्ति' के नाम से भी विख्यात है। जिसका लक्ष्य था – शोषण विहीन समाज की स्थापना। 102 साल बाद यह आज भी पूरी दुनिया के मज़दूर वर्ग की मुक्ति का, नयी क्रान्तियों का प्रेरणास्रोत और पथप्रदर्शक है।

जारशाही के शासन का भयावह दौर

क्रान्ति के पूर्व रूस में क्रूर जारशाही का शासन था, जहाँ के मज़दूर, किसान, छोटे उत्पादक-व्यवसायी, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताएं, धार्मिक अल्पसंख्यक सभी दु:खी परेशान थे। शोषण व दमन बहुत तीखा था। लगातार युद्धों में रूस के आम मेहनतकशों को लगातार अपना खून बहाना पड़ता था। युद्धों का पूरा बोझ जनता को उठाना पड़ता था, जबकि जार, उसके दरबारी और पूँजीपति मालामाल हो रहे थे।

1905 में रूस-जापान युद्ध में रूस जैसी विशाल शक्ति जापान जैसे छोटे मुल्क से हार गयी। गरीबी, दमन और युद्धोन्माद से त्रस्त रुसी मेहनतकश जनता ने 1905-07 में क्रान्ति का बिगुल फूंका, लेकिन क्रान्ति असफल रही। फिर भी मज़दूर वर्ग ने हार नहीं मानी। उसने क्रान्ति से महत्वपूर्ण सबक निकाले और महज 10 साल में सफल क्रन्ति को अंजाम दिया, और यह साबित कर दिया कि मज़दूर वर्ग शासन भी चला सकता है और मानवीय विकास के नये-नये कीर्तिमान स्थापित कर सकता है।

असफल से सफल क्रान्ति की ओर

1914 में मुनाफाखोरों ने पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक दिया। मज़दूरों के शिक्षक व नेता लेनिन ने कहा कि 'युद्ध साम्राज्यवादियों द्वारा बाजार पर कब्जे के लिए है, ऐसे में मेहनतकश जनता को इसके ख़िलाफ अपनी मुक्ति की लड़ाई छेड़ देनी चाहिए।'

1916 आते-आते विश्व युद्ध की भयानक तबाही दुनिया के अन्य देशों की तरह पूरे रूसी समाज में फैल गयी। मरने वालों से कब्रिस्तान और घायलों से अस्पताल पट गये। ऐसे में तमाम दुश्प्रचारों के बावजूद, रूस की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) के नेतृत्व में मज़दूर वर्ग, सैनिक, मल्लाह, किसान सभी एकजुट होने लगे।

मज़दूर वर्ग के साथ सभी उत्पीड़ित जन जारशाही के खिलाफ लामबन्द हो रहे थे। वक़्त की नज़ाक़त देखकर पूँजीपति वर्ग भी पाला बदलकर क्रान्तिकारी जमात में शामिल हो गया। फरवरी 1917 में एक सफल पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति के जरिये जारशाही का अन्त हो गया।

जब अक्टूबर क्रान्ति बिगुल बजा

फरवरी क्रान्ति के बाद पूँजीपति वर्ग जार की नीतियों के साथ था और विश्व युद्ध में बना रहना चाहता था। इसके उलट बोल्शेविकों के नेतृत्व में मज़दूर वर्ग इस लुटेरी युद्ध की जगह रूस में शान्ति की चाहत के साथ समाजवाद कायम करना चाहता था। एक तरफ पुराने ढांचे वाली पूँजीपतियों की अस्थायी सरकार थी तो दूसरी तरफ मेहनतकशों की सोवियतें (भारत के पुराने पंचायतों जैसी संस्था)। इस दोहरी व्यवस्था को आधार बनाकर बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में मज़दूर वर्ग ने 'सारी सत्ता मेहनतकश को' का नारा बुलन्द कर दिया।

अन्तत: 25 अक्टूबर (7 नवम्बर) 1917 को रूस में मज़दूरवर्ग ने शानदार क्रान्ति को अंजाम दिया। पूँजीपति वर्ग की आठ माह पुरानी सत्ता का अन्त हो गया। बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में मज़दूर वर्ग की सत्ता कायम हो गयी। पूँजीपति वर्ग के सशस्त्र हमले को मजदूर वर्ग के हथियारबंद दस्तों ने ध्वस्त कर दिया। देश के सभी प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों, संचार व रेल साधनों, सरकारी इमारतों आदि को मज़दूर वर्ग ने अपने कब्जे में ले लिया। पूरे देश में सोवियतें कायम होने लगीं। क्रान्ति सफल हो गयी थी।

'अक्टूबर क्रान्ति' को कुचलने के लिए साम्राज्यवादी देशों के नेतृत्व में 14 देशों ने सोवियत रूस पर चारों तरफ से हमला बोल दिया। लेनिन और बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में रूस के मज़दूरों, किसानों ने पूँजीपतियों, जमींदारों और विदेशी शत्रुओं का चार साल तक जम कर सामना कर उन्हें परास्त किया।

नयाब प्रयोगों ने कायम कीं कई मिसालें

समाजवादी निर्माण के पूरे दौर में सोवियत संघ के मेहनतकशों ने एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित किये। उसने सामूहिक उत्पादन की प्रणाली विकसित की। अनियंत्रित उत्पादन के बाजारू तरीके को बदलकर जनता की जरूरतों के अनुरूप उत्पादन का तंत्र बनाकर यह साबित कर दिया कि मेहनतकश की खुशहाली कैसे आ सकती है। शिक्षा, दवा-इलाज जैसी आम जनता की बुनियादी जरूरतें सबके लिए निशुल्क उपलब्ध कराने से लेकर हर हाथ को काम देने का सपना साकार किया।

1929-31 के दौर में जब पूरी दुनिया आथिक महामंदी के दौर से गुजर रही थी, एक-के-बाद-एक कल-कारखाने बन्द हो रहे थे, बेरोजगारी और महँगाई चरम पर थी, तब सोवियत रूस में उत्पादन में आठ से दस गुने की बृद्धि हो रही थी। मुनाफे और बाजार के लिए जब साम्राज्यवादियों ने दुनिया को दूसरे विश्वयुद्ध में झोंक दिया था और इटली व जर्मनी का फासीवाद पूरी मानवता को रौंद रहा था, तब समाजवादी रूस की मेहनतकश जनता ने मानवता की रक्षा की और वैश्विक तबाही से बाहर निकाला, फासीवाद का नाश किया।

क्रान्ति के बाद बनी सोवियत संघ ने पूरी दुनिया के मज़दूरों, किसानों, उत्पीड़ितों, गुलाम देशों को मुक्ति की राह दिखायी। सोवियत संघ जब तक समाजवादी रहा तब तक वह मुक्ति का न केवल मज़दूर वर्ग का प्रेरणास्रोत रहा बल्कि उसने दुनिया भर के शोषितों-उत्पीड़ितों की मदद भी की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के चौथाई हिस्से पर मज़दूर वर्ग का शासन था। चीन सहित तेरह देशों में समाजवादी राज्यों की स्थापना हुयी। 1956 में भितरघातियों द्वारा सोवियत संघ में पूँजीवाद की पुर्नस्थापना के बाद समाजवाद और कम्युनिज्म के महान ध्येय को वक्ती तौर पर हानि पहुँची।

सबक लेकर आगे बढ़ना होगा!

आज, जब पूरी दुनिया में मज़दूर वर्ग की कहीं कोई सत्ता नहीं है और पूरी दुनिया का मज़दूर वर्ग नयी क्रान्तियों की तैयारी में जुट रहा है, तब अक्टूबर क्रान्ति एक मशाल की तरह प्रज्वलित है। पूँजीपतिवर्ग ने अपने हित में इससे सबक निकाले हैं। हमें भी मज़दूरवर्ग की नयी क्रान्ति के लिए अतीत की महान क्रान्तियों से सीखने, विश्लेशण करके सबक निकालने और आज की ठोस परिस्थीतियों के अनुरूप क्रान्ति की नयी रणनीति बनाने की ज़रूरत है।

अक्टूबर क्रान्ति को याद करने का यही मक़सद हो सकता है।

जिस देश में मज़दूर मरते हैं

दूसरा बेटा बना सेवघर में निर्माण श्रमिक।
जल्द ही टूटी रस्सी और 13वीं मंज़िल से गिरकर उसका देहांत हो गया...
तीसरी बेटी अनाररोली में रास्ता बनाने के लिए खुद से भी भारी इंट उठा रही थी।
जल्द ही, कमर गयी, जॉब गया और फिर गयी ज़िदगी...
चौथे बेटे को अंगूरपूरा में पत्थर क़ाटने का काम मिला।
जल्द ही पत्थर का ज़हरिला चूर्ण उसके फेफड़े को खा गया।
उसकी लाश का मुंह रह गया बाल्कनी जैसा खुला...
पाँचवा बेटा अमृतगढ़ पेंट फैक्ट्री में काम पर लगा। वेतन था कम, तो फैक्ट्री के अन्दर ही रहने लगा।
जल्द ही लगी आग। पेंट जल-जल कर सोते हुए मज़दूरों को घेर लिया, पाँचवा बेटा बचने के लिए खिड़की से कूदा और मर गया...

छठी बेटी थी सबकी दुलारी। खैर वो रहिलाटोला गारमेंट फैक्ट्री में ट्रेनी बनके घुसी।
जल्द ही एक मेनेजर ने उसे छेंड़ दिया। कंपल्सरी ओवरटाइम करते-करते किसके पास समय था कि उसकी बात सुने?
लटक गयी वह पंखा से...
सातवां बेटा जामुनिया में मेहतर बन गया। न मिला ग्लव्स न मास्क।
धीरे-धीरे उसे सेप्टिक टैंक की गन्दगी शहर के लोगों के दिल के अँधेरे से बेहतर लगने लगी।
वो नीचे ही रह गया...
BEWARE FLAMMABLE
आठवां बेटा संतराई का स्टील प्लांट ज्वाइन किया।
जल्द ही, वहाँ पर पाइपलाईन में जो आग लगी उसमें उसकी मौत नहीं हुई।
उसकी मौत तो होनी थी आग लगने के दो दिन बाद, काम करते वक़्त उसके सर पर जो गैस सिलिंडर गिरा उससे...
नौवें बेटे को जगह मिला था पपितापत की एक रैट-होल कोल माइन में।
जल्द ही माइन कोलाप्स कर गया, जबकि वह वहाँ कोयला उठा रहा था। एक महिने तक कोई उसकी ख़बर तक नहीं लिया।
अरे ऐसे कितने मरते हैं...

आंकड़ों के अनुसार हर साल इस देश में 48,000 मज़दूर काम करते वक़्त मरते हैं। आंकड़ों के बाहर इससे कहीं ज्यादा। नौकरी करते मरते हैं। नौकरी खोकर मरते हैं। जीते जी मरते रहते हैं...

और कोई कुछ नहीं कर पाता ...

अमर शहीद करतार सिंह सराभा के शहादत दिवस (16 नवम्बर) पर

अंग्रेजी गुलामी के दौर में देश की सच्ची आजादी के लिए बेशकीमती संघर्षों व कुर्बानियों से देश के इतिहास के पन्ने स्वर्णिम अक्षरों से भरे पड़े हैं। इन्हीं महान शूरवीरों में एक नाम है **-करतार सिंह सराभा** का। साढ़े उन्नीस साल के सराभा को उनके छह अन्य साथियों -बख्शीश सिंह, हरनाम सिंह, जगत सिंह, सुरैण सिंह, सुरैण, व विष्णु गणेश पिंगले -के साथ 16 नवम्बर, 1915 को लाहौर जेल में अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पर चढ़ा दिया था।

करतार सिंह सराभा भारत को अंग्रेजों की दासता और हर प्रकार की गुलामी से मुक्त करने के लिये अमेरिका में बनी गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। 16 नवम्बर 1915 को करतार को जब फांसी पर चढ़ाया गया, तब वे मात्र साढ़े उन्नीस वर्ष के थे। करतार सिंह ने गदर पार्टी आंदोलन के लोक नायक के रूप में अपने बहुत छोटे-से राजनीतिक जीवन में अमिट छाप छोड़ी।

युवा अवस्था की दहलीज पर ही वे गदर आन्दोलन व पार्टी से जुड़े। 'गदर' पत्रिका के सहसम्पादक के रूप में उन्होंने लाला हरदयाल के साथ पत्रिका को वैचारिक और ओजस्वी धार दी। सोहन सिंह भाकना की गिरफ्तारी के बाद सराभा ने पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। कुल दो-तीन साल में ही सराभा अपने प्रखर व्यक्तित्व और क्रान्तिकारी जोश से देश के युवकों की आत्मा में बस गये। तभी तो शहीदे आजम भगत सिंह के वे आदर्श बने।

आज के दौर में जब देश गुलामी की नई बेडियो में जकड रहा है, साम्प्रदायिक और जातिवादी जूनून में देश की मेहनतकश आवाम को उलझाया जा रहा है, आजादी की लड़ाई के गद्दारों को स्थापित करने का कुचक्र चल रहा है, ऐसे में करतार सिंह जैसे वीर शहीदों को याद करके उनकी विरासत को आगे बढ़ाना बेहद अहम है।

"जब तक कुछ लोग वे चाहे देशी हों या विदेशी हों या फिर दोनों आपसी सहयोग में हों, श्रम और हमारे लोगों के साधानों का शोषण जारी रखते हैं हमारी लड़ाई चलती रहेगी। हमें इस रास्ते से कोई नहीं हटा सकता।"

-करतार सिंह सराभा

(जन्म- 24 मई 1896 - शहादत-16 नवम्बर 1916)

"भारत में अनेक पंथ और धार्मिक संगठन अस्तित्व में आ रहे हैं, उनमें से प्रत्येक भारत को दासता से मुक्ति दिलाने की डींग हांकता है किसी को किसी के खास मत और विचार पर कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भारत में रामसिंह, नाना साहेब, झांसी की रानी, तात्या, तिलक, अंबा प्रसाद सफूी और अजितसिंह जैसे देशभक्त पैदा हुए हैं परंतु इनका धर्म एक नहीं था। यह सोचना मूर्खतापूर्ण है कि केवल एक ही धार्मिक संगठन सभी उद्देश्यों के लिए पर्याप्त होगा। जनता की समृद्धि और सुख किसी खास पंथ पर आश्रित नहीं होता स्वतंत्रता और समानता के प्रयत्नों का त्याग और अपनी समस्त रुचियों को केवल धर्म पर ही लगाना मनुष्य के स्तर से नीचे गिरना है।"

गदर पार्टी के पत्र 'गदर' में प्रकाशित लेख से

जाति–धर्म में नहीं बटेंगे ,मिल–जुल कर संघर्ष करेंगे!

काकोरी काण्ड के अमर शहीद
अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रौशन सिंह
शहादत 19 दिसम्बर व राजेन्द्र लाहिड़ी शहादत 17 दिसम्बर

नई गुलामी से मुक्ति के संघर्षों से नाता जाड़ो!

एक ऐसे कठिन समय में जब हमारा देश साम्प्रदायिक बंटवारे की आग में झुलस रहा है। मानव–मानव के बीच मजहब व जाति की बड़ी दीवार खड़ी कर दी गयी है। देश की सत्ता इंसानियत की दुश्मन बनी बैठी है...!

तब अशफाक–बिस्मिल की दोस्ती और मानवता केन्द्रित आजाद मुल्क के लिए साझी शहादत के प्रतीक पुरुषों को याद करना, और उनसे प्रेरणा लेना आज के दौर के लिए बेहद जरूरी हो गया है!

> गवर्नमेण्ट के खुफिया एजेण्ट प्रोपेगैण्डा मजहबी बुनियाद पर फैला रहे हैं। इन लोगों का मकसद मजहब की हिफाजत या तरक्की नहीं बल्कि चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना है।... भाइयो। तुम्हारी खानाजंगी तुम्हारी आपस की फूट, तुम दोनों में से किसी के भी सूदमंद साबित न होगी।... तेरी अपनी गलतियों का यही नतीजा है कि आज तू गुलाम है और... आने वाली नस्लों के लिए यह धब्बा गुलामी छोड़ जाएगी।
>
> –शहीद अशफाक उल्ला खां

''हिंदू–मुस्लिम एकता ही हम लोगों की यादगार तथा अंतिम इच्छा है, चाहे वह कितनी कठिनता से क्यों न प्राप्त हो। जो मैं कह रहा हूं वही श्री अशफाकउल्ला खान वारसी का भी मत है।''

–शहीद रामप्रसाद बिस्मिल